(नियुक्ति देने के पूर्व मृतक आश्रित से लिये जाने वाले शपथ-पत्र)

शपथ-पत्र का प्रारूप-2

शपथी का फोटोग्राफ नोटरी द्वारा प्रमाणित

नाग	 उम्र	वर्ष प त्र ⁄	पत्री / पल्नी स	ac	
निवासी ग्राम -	 पोस्ट		भाना -	জ	नपद
का शपथ-पत्र					4
. मैं	 	उपर्यक्त	अभिसाक्षी	शपथपर्वक	निम्नलिखित
अभिकथन	•	,		31 1 1 K 1 1 1	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
करता है:					

- (1) यह कि शपथी द्वारा अपने सेवायोजन के सम्बन्ध में जो सूचना/शैक्षिक प्रमाण-पत्र तथा प्रपत्र इत्यादि दिया गया है वह सही है।
- (2) यह कि शपथी द्वारा सेवा गेजन के सम्बन्ध में दिये गये मृतक कर्मी के सम्बन्ध में नाम, पद/नियुदित का विवरण आदि सही है एवं वह मृतक का वास्तविक वारिस है।
- (3) यह कि शपथी के परिवार में एवं कमी की मृत्यु के बाद किसी भी अन्य सदस्य द्वारा कभी भी मृतक आश्रित सेवारोजन नियमावली के अन्तर्गत सेवायोजन का लाभ नहीं लिया गया है
- (4) यह कि शपथ-पत्र के प्रस्तर- 1 से 3 तक में अकित कथन सत्य है तथा शपथी द्वारा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।

आवश्यक / अतिमहत्वपूर्ण / समयबद्ध

उत्तर प्रदेश पुलिस संख्या:अठारह / ए—1(124)2008,

मुख्यालय, इलाहाबाद—1 दिनांक : फरवरी | 3,200**§**

सेवा में,

समस्त कार्यालयाध्यक्ष, पुलिस विभाग,उत्तर प्रदेश।

विषय:--

सरकारी कर्तव्य पालन के दौरान मृत पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों के आश्रितों को मृतक आश्रित सेवायोजन नियमावली—1974 के अर्न्तगत उप निरीक्षक ना0पु0 / प्लादून कमाण्डर के पद पर सेवायोजन की कार्यवाही के सम्बन्ध में ।

कृपया रिट याचिका संख्या:4746/2008 मुकेश शुक्ला व अन्य बनाम उ०प्र० शासन व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांकित 07.08.2008 के अनुपालन में शासनादेश संख्या:1912/6—पु0—10—08—1200(285)/2006 दिनांक 17.10.2008 के माध्यम से प्राप्त निर्देश के अनुसार मृतक आश्रित सेवायोजन नियमावली 1974 के अर्न्तगत मृतक आश्रितों के पक्ष में उप निरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर के पद पर लम्बित प्रस्तावों में नियमानुसार सेवायोजन की कार्यवाही किया जाना है। इस सम्बन्ध में नियमानुसार मृतक आश्रितों के उप निरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर के पद विषयक दक्षता का मूल्यांकन यथाशीध कराया जाना है, जिसके लिए पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० से तदविषयक विभागीय चयन समिति के गठन का अनुरोध किया गया है।

2. अतः कृपया अनुरोध है कि आपके जनपद / इकाई में मृतक आश्रितों के उप निरीक्षक ना0पु० / प्लाटून कमाण्डर के पद के जो भी प्रस्ताव लम्बित हों, उनका नियमानुसार भली भांति परीक्षण कर, पुलप्रुफ सिस्टम के अर्न्तगत पुलिस मुख्यालय के परिपत्र संख्या:18 / ए—1(5)2008 दिनांक 24.02.2008 में निहित प्राविधानों के अनुसार पूर्ण पत्रादि / आख्या सहित प्रस्ताव अपने जनपद / इकाई के पुलिस उपाधीक्षक / क्षेत्राधिकारी कार्यालय के माध्यम से पुलिस मुख्यालय को प्रत्येक दशा में दिनांक 28.02.2009 तक उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें। कृपया मृतक आश्रित के प्रस्तावों का परीक्षण करते समय यह भी सुनिश्चित कर लें कि आश्रित उप निरीक्षक ना0पु० / प्लाटून कमाण्डर के पद पर सेवायोजन हेतु निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सब प्रकार से अर्ह हो एवं आश्रित स्व0 मृतक पुलिस कर्मी के मृत्यु के पांच वर्ष की समय सीमा के अन्दर न्यूनतम 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो तथा स्नातक स्तर की शिक्षा ग्रहण कर चुका हो।

3. কিব্ব কুपया प्रकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करने का कष्ट करें।

they all

(दीपक कुमार भटट) अपर पुलिस अधीक्षक,स्थापना, निमित्त पुलिस उप महानिरीक्षक,स्थापना, उत्तर प्रदेश।

संख्या तथा दिनांक वही

अप्रतिविधि विशेष सचिव,उत्तर प्रदेश शासन,गृह(पुलिस)अनुभाग-10,लखनऊ को शासन के निर्देश संख्या: 1912/6-पु0-10-08-1200(285)/2006 दिनांक 17.10.2008 के सन्दर्भ में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

संख्या तथा दिनांक वही

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित:--

1, अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2. पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस महानिदेशक के सहायक, उ०प्र० लखनऊ।

पुलिस महानिरीक्षक,स्थापना, उ०प्र० लखनऊ।
 पुलिस महानिरीक्षक,प्रशासन, उ०प्र०, लखनऊ।

सगरत गरिष्ठ पुलिस अधीकारीगण, पुलिस मुख्यालग, इलाहाबाद।

क्षेरका तथा दिनोक्त वही 6- अपर सिहान देशक (पीएमी), पीठाठानी० सुरावाकप उठाउठाता ।

चेक जिस्ट

उत्तर प्रदेश मृत सरकारी संबकों के आश्रितों की भती नियमावली—1974 सपठित नियमावली—1993,2006 के अधीन संस्कारी कर्मचारियों की सेवाकाल में मृत्यु के उपरान्त परिवार के आश्रितों में से एक सदस्य को मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन प्रवान किये जाने विषयक प्रस्ताव

	ता म स एक सदस्य का मृतक आम्नित क रूप म
1	मृत सरकारी सेवक का नाम
2	भृत सरकारी सेवक का पदनाम
3	गृत सरकारी सेवक की मृत्यु पूर्व नियुक्ति
; }	स्थान / कार्यालय का नाम
.1	मृत सरकारी सेवक की जन्मतिथि (सेवाअभिलेख
	के अनुसार प्रध्यम पृष्ठ की प्रमाणित छायाप्रति
	सलग्न की जाय)
6	मृत सरकारी सेवक की भर्ती तिथि
6	भृत सरकारी सेवक की नियुक्ति का
į Į	प्रकार(तदर्थ / नियमित / स्थाई /
	अस्थाई/आकस्मिक)
7	मृत सरकारी रोवक की मृत्यु तिथि (मृत्यु का
	प्रमाण-पन्न के अनुसार, कार्यालय प्रमुख द्वारा
	प्रतिहरताक्षरित कर संलग्न किया जाय)
8	मृत सरकारी सेवक की मृत्यु की परिस्थितियाँ
	के। सक्षिप्त विवरण
9	मृत सरकारी सेवक,मृत्यु के समय डियुटी पर था।
	अथवा अवकांश पर
10	मृत रारकारी सेवक के कुटुम्ब के सदस्यों का
	नाम आयु(हाईरकूल की सनद अथवा जन्म
	प्रगाण-पत्र के अनुसार) तथा आयं व वैवाहिक
	रिथिति
ļ	
11	मृत सरकारी सेवक की एक से अधिक पत्नियाँ
	हो तो पत्नियों के नाम आयु(हाईस्कूल की सनद
46	अथवा जन्म प्रमाण-पत्र के अनुसार)
12	मृत सरकारी सेवक के पत्नी के द्वारा इस आशय
	का रापथ-पत्र वह किसे सेवायोजन दिलाना
	चाहती है का विवरण एवं परिवार के समस्त
	सदस्यों वयस्क/अवयस्क दोनों को विवरण
L	(नाम/आयु/शिक्षा/व्यवसाय) अकित होगा

	•
	1
<i>- /</i>	
1	रा। मिलित हो से संबंधित शपथ-पत्र (प्रारूप-क)
13	गृत सरकारी सेवक के कुटुम्ब के सदस्यों का
	वार्षिक आय का विवरण
111	इस आशरा का प्रमाण-पत्र की स्थायी अभिलेख
	एव पेशन पत्रावली पर प्रस्तुत कुटुम्ब की सूची
	श रावायात्वन के प्रस्ताव के लिए प्रस्तुत कटाव
	रो रोवायोजन के प्रस्ताव के लिए प्रस्तुत कुटुम्ब की सूची की समी ता कर ली गयी कोई अन्तर
	नहीं पाया गया है पेशन पत्रावली पर प्रस्तुत
	युदुन्य की सूची की प्रमाणित प्रति(पेंशन प्रपत्र। भाग दो संलग्न किया जाय
15	गृत सरकारी सेवक के कृदुम्य के वयस्क सदस्या
	क्षा शपथ-प्रवृत्स्हमति जिन्हें सेवायोजन
	र दिलाना चाहते हो, के पक्ष मे(प्रारूप-ख)
16	मृत सरकारी सेवक के आश्रित के पक्ष में निर्गत
1	ाकरंग गयं भी०भी०ओ० / जी०भी०ओ० की संख्या व
	विनाक (प्रमाण हेतु प्रमाणित छायाप्रति संलग्न
1	74, 2)
17	गृत सरकारी सेवक के कुदुम्य के एक से अधिक
	रावस्यो द्वारा संवायोजन की मांग की जा रही है
	ता उनमें से जिस आश्रित को नामित किया जा
	रहा है उससे नामित किये जाने के कारण
	सहित विस्तृत विवरण अकित करें
18	भृतक आश्रित सेवायोजन नियमावली—1974 के
('''	
1	अन्तंगत इससे पूर्व कृदुम्य के किसी आश्रित
ĺ	सदस्य की नियुक्ति की सुविधा प्राप्त हुई हो तो
	ऐसी स्थिति में स्पष्ट किया जाय किस सम्बन्धित
	को किस पद पर नियुक्ति दी गयी है तथा इस
	सम्बन्ध म पुलिस मुख्यालय के आदेश संख्या व
	दिनाक का उल्लेख कर
19	इस आशय का प्रमाण-पत्र कि मृत सरकारी
	सेवक के किसी भी आश्रित को छत्तर प्रदेश मृत
	रारकारी रावको के आभितों की भर्ती नियमावली
	-1974 संपर्वित नियमा ब ली-1998, 2006 के
	अधीन रोवायोजन का लाभ प्रदान नहीं किया
,	गया है से संबंधित प्रमाण पत्र(प्रारूप-घ)
20	मृत सरकारी सेवक के घर के पते (स्थायी एवं
,	अस्थायी)पर सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी से कराई
	गयी जांच आख्या की मूल प्रति जिसमें मृतक के
	The same of the same interest from the

/r		
		कुदुम्य के किसी भी सदस्य को पूर्व में
İ		सेवायोजन का लाभ तो प्रदान नही किया गया
ı		है तथा अवयस्क / वयस्क सदस्यों की वैवाहिक
		स्थिति तथा आय का भोत और यदि किसी सेवा
-		में है तो उसका विवरण संबंधित ग्रमाण पंत्र
-	21	मृतक आश्रित का नाम
	22	मृतक आश्रित की जन्मतिथि हाईस्कूल के सनद
		अथवा जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार अको तथा
-		शब्दों में
-	23	मृतक आश्रित की शैक्षिक योग्यता
	24	नृत सस्कारी सेवक के आश्रित का शपथ पत्र
		जिन्हें सेवायोजन हेतु नामित किया गया है
_		(प्रारूप-ग)
	25	मृतक आश्रित का प्रार्थना-पत्र जिसमें शैक्षिक
		योग्यता आयु,अपेक्षित पद का उल्लेख तथा
		जाति विषयक प्रमाण-पत्र(यदि आरक्षित वर्ग से है तो दिनाक सहित)
١,	26	
1.	<i>.</i> .U	शैक्षिक प्रमाण <u>पत्रों/अंक तालिकाओं</u> का रात्यापन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय से
		पान राज्यानक शिक्षा बास् विश्वविद्यालय स
		एव हाईस्कूल' से कम शिक्षित होने पर जिला
		विद्यालय निरीक्षक से सत्यापन कराकर सत्यापन
10	7	आरखा(कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रतिहरताक्षरित) भृतक आश्रित का चरित्र सत्यापन स्थाई व
1	,	अस्थाई पते पर तथा अभिसूचना मुख्यालय द्वारा
!		कराया गया चरित्र सत्यापन आख्या मूलकः में
		सलग्न की जायंगी
ر ا	8	मृतक आश्रित के पक्ष दो राजपत्रित अधिकारियो
		द्वारा पृदत्त चरित्र प्रभाण-पत्र जो छ से पुराना
1		न हो
2	3	मृतक आश्रित की वैवाहिक स्थिति यदि विवाहित
		है तो जीवित पत्नी का नाम/आय व शैक्षिक
		योग्यता
30		मृतक आश्रित से निम्न स्थिति में तत्सम्बन्धी

	विवरण सहित इस आशय घोषणा पत्र प्राप्त कर
	संलग्न किया जाय
	1-यदि वर्तमान समय में मृतक आश्रित कही
	सेवारत है
ĺ	2- यदि पूर्व में सेवास्त रहा हो
	3- यदि सेवा त्यागपत्र दे दिया तो
	4- यदि सेवा से पृथक कर दिया गया हो तो
31	यदि मृतक आश्रित आरक्षित वर्ग का है तो जाति
	प्रमाण-पत्र (जो जिलाधिकारी द्वारा प्रति
	हस्ताक्षारित होगा)
32	मृतक आश्रित का नवीनतम फोटोग्राफ जो छ से
	पुराना न हो चरपा कर कार्यालयाध्यक्ष द्वारा
	प्रमाणित किया जाय
33	मृतक आश्रितः का शारीरिक नाप जोख छः माह
	से पुराना न हो फोटोग्राफ चस्पा कर प्रमाणित
	कर (प्रतिसार निशेषक द्वारा प्रवत्त किया गया
	प्रसाण-पत्र) (कार्यालय प्रमुख द्वारा
34	प्रतिहरताद्वारित) गृतक आश्रित का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र छ माह
34	रे पुराना न हो फोटोग्राफ चरपा कर प्रमाणित
	करें (मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त
	किया गया प्रमाण-पत्र) (कार्यालय प्रमुख द्वारा
	प्रतिहरताक्षरित)
35	इस आशय का प्रमाण-पत्र की पुलिस कार्यालय
	द्वारा मृतक आश्रित के सेवायोजन का विवरण
	रथाई रूप से एखे गये "मृतक आश्रित
	रोवायोजन एज़िस्टए" में अकित कर दिया गया
٠	है से संबंधित प्रमाण पत्र (प्रारूप-च)
36	इस आशय का प्रमाण पत्र की उपरोक्त कम
	राख्या-1 से लेकर कम संख्या-85 तक अंकित
	सभी प्रविष्टिया को भेरे द्वारा भली भाति जाच
	कर लिया गया है जो सूचनाये अकित है वे सही
	है एवं आवेदक द्वारा मांगे जा रहे पद पर
	सेवायोजन की संरतुति की जाती है।(अपेक्षित
	पद नाम का उल्लेख कार्यालयाध्यक्ष द्वारा करते
	हुए संस्तुति की जायेगी)
	•

उत्तर प्रदेश आरक्षिक (पुलिस) में भर्ती का आकार पत्र 2-पिता का नाम..... 3-स्थामी पता--4-आयु एवं जन्म का दिनांक... 8—जाति(केयल परिगणित जातियो के लिये)...... 6-विवाहित या अविवाहित्.. 7-शिक्षा संबंधी योग्यतायें... 8-सैनिक अनुभव, यदि कोई हो और पदवी, जिन पर नियुक्त हो......इस लेख द्वारा प्रकथन करता हूँ कि ऊपर दिया लेखा व ध्यौरा, जिसे गैने स्वयं दिया है, पढवाकर सुन शिया है, शहाँ तक में जनता हूँ और जैसा एक विश्वास है, सत्य है। गेरे सामने इरलाक्षर हुये और इसे लेखे को साक्षिता स्वीकृत की गयी । प्रार्थी के हरताक्षर साक्षित्य अधिकारी के इस्ताक्षर प्रतिसार-निरीक्षक (रिजर्य इन्तपेक्टर) द्वारा भरा जाये। **(ख)** 10- नाप--1- जैयाई.. 2- छाती बिना फुलाये.... प्रतिसार निरीक्षक(रिजर्व इन्सपेक्टर)

यिकित्सक अधिकारी द्वारा भरा जा

11 प्रस्थित के निशेष चिन्ह.....

12-चिकित्सक अधिकारी की आख्या रिपोर्ट.....

(क)-योग्य/अयोग्यः

(m)

(ख)उसकी आयु उसी के वक्तव्य के अनुसार वर्ष की अं

ऊपर से देखने में.....

ग— घेचक टीका या घेचक के चिन्ह हाँ या नही।			
घ— (आरीक्षक अधीक्षक (कप्तान पुलिस के पूछने पर) र	उसके बढ़ने या पुष्ट होने	की समावना है मा	
देनांकसन् 19		ा पापना है या नहा	
भर्ती किये जाने वाले के बांये अगूठे की छाप		•	चिकित्सक अधिकारी
•	अनुबन्ध (ए	 गीमेन्ट)	
1/ मुहत्त्वा			•
4171			
निवासी हूँ इस बात को अंगीकार करता हूँ और इस पर के भीतर ही उत्सर्जित (डिसचार्ज), पदच्युत (डिस्मीड) या के दिन से दो वर्ष तक उसमें काम करता रहूंगा ।	र अनुयद्ध होता हूँ कि य जनपद – चिकित्सक (I	दे मै उत्तर प्रदेशीय (पुित सेविलसर्जन) द्वारा अयोग्य	
मैं अंगीकार करता हूँ और अनुबद्ध होता हूँ कि व होगी, उतने ही समय दण्ड भंरूगा।			•
यह अनुबन्ध किसी ऐसे अंगीकार- पत्र . अनुबन्ध े	या बन्ध को , जिसे मै	इस अनुबन्ध पर हरताक्षर	करने के बाद लिखे, अतिकांत कर सकूंग
नेरम का बायह व्यादा क्षेत्र		•	
लेख्य का शुरक उतार प्रदेश गर्यगर महोदय देंगे बित्व अधिकारी (अटेरिटंग आफीरार) के ताक्षर और उनका अभिधान (इंजिएनेशन)			
ाडित्व अधिकारी (अटेरिटंग आफीसर) के तित्व अधिकारी (अटेरिटंग आफीसर) के ताक्षर और उनका अभिधान (इंजिंग्नेशन)		D	in the state of th
।।बत्व अधिकारी (अटेरिटंग आफीसर) के		•	ार्थी के हरताक्षर ायें अगठे की काव
।।बत्व अधिकारी (अटेरिटंग आफीसर) के	·	•	ार्थी के हरताक्षर प्यें अगूठे की छाप
।।बत्व अधिकारी (अटेरिटंग आफीसर) के	ः	•	
ाक्षत्व आधेकारी (अटेस्टिंग आफीसर) के ताक्षर और उनका अभिधान (इंजिंग्नेशन)	 आज्ञा	•	
।।बत्व अधिकारी (अटेरिटंग आफीसर) के		•	
ाक्षत्व आधेकारी (अटेस्टिंग आफीसर) के ताक्षर और उनका अभिधान (इंजिंग्नेशन) पद पर दिनांकसन्198 ई से		•	ायें अंगूटे की छाप

चेक लिस्ट

उत्तर प्रदेश मृत संस्कारी सेवको के आश्रितों की भर्ती नियमायली—1974 संपठित नियमायली—1903,2006 के अधीन संस्कारी कर्मचारियों की सेवाकाल में मृत्यु के उपरान्त परिवार के आखितों में से एक सदस्य को मृतक आखित के रूप में सेवायोजन प्रदान किये जाने विश्वाक प्रस्ताव

430	काल में मुख्यु के उपरान्त पश्चिम के आखिलों में से एक सदस्य को मुलक आखिल के रूप में सेवार पित संस्कारी सेवक का नाम	गोजन गनन स	Holyto Historia	
1	L CO CONTRACTOR OF THE CONTRAC	ाणिय अदाय वि	भ्य जान विषयत	F W
2	भृत सरकारी सेवक का पदनाम			
3	मुत सरकारी सेवक की मत्य पूर्व नियमित्र ज्यान (कार्याना न्यू न्यू		·····	
4	मृत सरकारी सेवक की जन्मतिथि (सेवाअभिलेख के अनुसार प्रथम पृष्ठ की प्रमाणित छायाप्रति			
	मलग्न की जाय)	परिशिष्ट		
5	मृत सरकारी सेवक की भर्ती तिथि		•	
<u>. </u>	रूप संस्कारा सर्वक की मता तिथ			
	मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति का प्रकार(तदर्थ/नियमित/स्थाई/ अस्थाई/आकस्मिक)	-		·
7	्य रास्कारा सावक का मुख तिथ (मत्य का प्रमाण-पन के अनुपान कार्य			
	ि अंदावरदावारत कर सवस्य किया जीयो			
8	मृत सरकारी सेवक की मृत्यु की परिस्थितियों का संक्षिप्त विवरण			
9	। मृत सरकारी सेवक मृत्य के समय दियही पर शा अध्या अतकाष ॥	<u> </u>		
10	मृत सरकारी सेवक के कुदुम्ब के सदस्यों का नाम आयु(हाईस्कूल की सनद अधवा जन्म			
	प्रमाण-पत्र के अनुसार) तथा आय व वैवाहिक स्थिति		आ्यु	
	Sand and antiferent (reals)	नाम	आयु	Į
		नाग	आयु	Į
11	मत पारकारी स्रेतक की एक से अर्थन की राज के	नाम	आयु	Ţ
	मृत सरकारी सेवक की एक से अधिक पत्नियाँ हो तो पत्नियों के नाम आयु(हाईस्कूल की सनद	नाभ	आयु	
	ि अथवा जन्म प्रमाण-पत्र के अनुसार)	नाम	आयु	
12	मृत सरकारी सेवक के पत्नी के द्वारा इस आशय का शपथ-पन वह किसे सेवायोजन दिलाना	परिशिष्ट	211.0	L
	निवार है,का विवरण एवं परिवार के समस्त सहस्रों हाराकः / आधारक जोने हत किल्ला	1		
	(पाग) आयुर प्रथमा अविसारा आकृत होगा समिलित हो से संबंधित भ्राक्षा पत्र (माना क	ł		
3	्रेप संस्कारी संपंक्ष के केटीब के सहिच्छा का लागिक जाम केटा विकास		····	
4	इस आशय का प्रमाण-पत्र की स्थायी अभिलेख एवं पेशन पत्रावली पर प्रस्तुत कुटुम्ब की सूची	परिशिष्ट		
	से सेवाशोजन के प्रकार के लिए प्रस्तु के निय	सदस्यों के	नाम की	सूच
	से संवायोजन के प्रस्ताव के लिए प्रस्तुत कुटुम्ब की सूची की समीक्षा कर ली गयी कोई अन्तर	परिशिष्ट		
	नहीं पाया गया है पेशन पत्रावली पर प्रस्तुत कुंदुग्ब की सूत्री की प्रमाणित प्रति(पेशन प्रपत्र साग दो संलंगन किया जाय		•	
.	या राजामा विद्या पाव	पेशन भाग द	ो की प्रमाणित	सर
	and the same of th	परिशिष्ट—		٠.
5	मृत सारकारी सेवक के कुदुम्ब के वयसक सदस्यों का शपश—पत्र/ सहमति जिन्हें सेवायोजन	परिशिष्ट-	·	
. 1	दिलाना चाहते हो, के पक्ष में(प्रारूप-ख)	परिशिष्ट—		•
		परिशिष्ट	•	
		परिशिष्ट-	.*	
В	मृत सरकारी सेवक के आश्रित के पक्ष में निर्गत किये गये पीठपीठअके/ जीठपीठओठ की संख्या	परिशिष्ट—		
	प विभाग (प्रमाण हेर्नु प्रमाणित फायाप्रति सल्यन करी	नाराराष्ट्र—	•	
7	मृत संस्कारी सेवक के कुदुमा के एक से अधिक सदस्यों हारा सेवायोजन की माँग की जा रही	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	."	
	हैं तो उनमें से जिस आक्रित को नामित किया जा रहा है उससे नामित किये जाने के कारण			
	सिंहत वियरण अकित करें			
+	मस्त अधिन मेलागोनन निरामकरी १०३१ ने			
	मुलक आश्रित सेवायोजन नियमावली—1974 के अन्तगत इससे पूर्व कुटुम्ब के किसी आश्रित			
	रापस्य का गयुक्त का सुविधा प्राप्त हैंहें हो तो ऐसी स्थिति में क्वरू किया जान किया			
	राज्याचरा का किस पर पर निर्यावत दो गया है तथा रूप सम्बन्ध में प्रतित्व मन्याद्या है अपने ।			,
4	राख्या व ।वंगाक का उल्लेख कर ,			
	हुस आशय का प्रमाण-पत्र कि मृत सरकारी सेवक के किसी भी आश्रित को उत्तर प्रदेश मृत			
- 1	राज्या राज्या क जालवा का सर्व निर्मावला—१९७४ मणतिन निर्माणक्त्री ४००० ००० 🛨 ।			
- (अवा राजाताम का लाम प्रदेश गुर्हा किया गुरा है जे जबहित गुणा गुल्हा कर			
	मृत सरकारी सेवक के घर के पते (स्थायी एवं अस्थायी)पर सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी से कराई गयी			
1	जांच आख्या की मल पति जिसमें मलक के कर्ना के किन के क	परिशिष्ट		
	जांच आखा की मूल प्रति जिसमें मृतक के कुदुम्ब के किसी भी सदस्य को पूर्व में सेवायोजन	अनुलग्नक		
	का लाभ तो प्रदान नहीं किया गया है तथा अवयस्क / वयस्क सदस्यों की वैवाहिक स्थिति तथा	अनुलग्नक		
	आय का श्रीत और यदि किसी सेवा में हैं तो उसका विवरण संबंधित प्रमाण पत्र			

	, गुतक आशित का नाम	garante e como a debut a lla de valen a ante en escripi de serio () de le 12 de 12
7	मृतक आशित की जन्मतिथि हाईस्कूल के सनद अथवा जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार अको तथा शब्दों में	
23	मृतक आश्रित की शैक्षिक योग्यता	
24	मृत संस्कारी सेवक के आश्रित का शफ्ध पत्र जिन्हें सेवायोजन हेतु नामित किया गया है (प्रारूपग)	
25	मृतक अश्वित का प्रार्थना—पत्र जिसमें शैक्षिक योग्यता आयु अपेक्षित पद का उल्लेख तथा जाति विषयक प्रमाण—पत्र(यदि आरक्षित वर्ग से हैं तो दिनांक सिंहत)	परिशिष्ट
26	शैक्षिक प्रमाण <u>पत्रो/अंक</u> तालिकाओं का सत्यापन माध्यिमक शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय से एवं हाईस्कूल से कम शिक्षित होने पर जिला विद्यालय निशेक्षक से सत्यापन कराकर सत्यापन आख्या(कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षास्ति)	मा0शि0बोर्स— परिशिष्ट विश्वविद्यालय परिशिष्ट जि0वि0नि0 परिशिष्ट
27	मृतक आश्रित का चरित्र सत्यापन स्थाई व अस्थाई पते पर तथा अनिसूचना मुख्यालय द्वारा कराया गया चरित्र सत्यापन आख्या मूलरूप में संलग्न की जायेगी	स्थायी पते पर परिशिष्ट अस्थायी सते पर अभिसूचना मुख्यालय परिशिष्ट
28	मृतक आश्रित के पक्ष दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा पृदत्त चरित्र प्रमाण—पत्र जो छः से पुराना न हो	1—राजप्त्रित अधिकारी का नाम परिशिष्ट 2—राजप्त्रित अधिकारी नाम परिशिष्ट
29	मृतक आश्रित की वैवाहिक स्थिति यदि विवाहित है तो जीवित पत्नी का नाम/आयु व शैक्षिक योग्यता	नम आयु
30	मृतक आश्रित से निम्न स्थिति में तत्सम्बन्धी विवरण सिहत इस आशय घोषणा पत्र प्राप्त कर संलग्न किया जाय 1-यदि वर्तमान समय में गृतक आश्रित कही सेवारत हैं 2 यदि पूर्व में सेवारत रहा हो 3 यदि सेवा त्यागपत्र दे दिया तो 4 यदि सेवा से मृथक कर दिया गया हो तो	
31	यदि मृतक आश्रित आरक्षित वर्ग का है तो जाति प्रमाण—पन्न (जो जिलाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षारित होगा)	1— प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले राजपत्रित अधिकारी का नाम परिशिष्ट
32	मृतक आश्रित का नवीनतम फोटोग्राफ जो छः से पुराना न हो चस्पा कर कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किया जाय	प्रमाणित फोटोग्राफ
33	मृतक आश्रित का शारीरिक नाप जोख छ: माह से पुराना न हो फोटोग्राफ चस्पा कर प्रमाणित करे (प्रतिसार निरीक्षक द्वारा प्रवत्त किया गया प्रमाण-पत्र) (कार्याक्रय प्रमुख द्वारा प्रतिहस्तक्षारित)	केंबाई सीना सीना फुलाने बिना पर फुलाये
34	मृतक आश्रित का स्वास्थ्य प्रमाण—पत्र छः माह से पुराना न हो फोटोग्राफ चरपा कर प्रमाणित करे (मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रवत्स किया गया प्रमाण—पत्र) (कार्याक्रय प्रमुख द्वारा प्रतिहरसाक्षास्ति)	ऊँचाई सीना सीना पुरुवाने दिना पर पुरुवाये
35	इस आशय का प्रमाण-पत्र की पुक्तिस कार्याक्य द्वारा मृतक आश्रित के सेवायोजन का विवरण स्थाई रूप से रखे गये "मृतक आश्रित सेवायोजन रजिस्टर" में अंकित कर दिया गया है से संबंधित प्रमाण पत्र (प्रारूप-च)	स्थाई रजिस्टर का पृष्ठ संख्या- कम संख्या- प्रमाण पत्र परिशिष्ट
36	इस आशय का प्रमाण पत्र की उपरोक्त कम संख्या—1 से लेकर कम संख्या—35 तक अंकित सभी प्रविष्टियों को मेरे द्वारा भली भांति जांच कर लिया गया है जो सूचनाये अंकित है वे सही है एवं आवेदक द्वारा मांगे जा रहे पद पर सेवायोजन की संस्तुति की जाती है।(अपेक्षित पद नाम का उल्लेख कार्यालयाध्यक्ष द्वारा करते हुए संस्तुति की जायेगी)	

*



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

समकः :- श्रीमान वरिष्ठ प्रतिस अधीका गहोद्य

् जिला जल्लौन हु स्थान उर्हाह

में राच्वेन्द्र सिंह निरंपन उम्र 30 वर्ध पुर स्वध भी कूंज बिहारी विद्यार निवासी गाम महो वकण्ड पोस्ट व थाना महो वकण्ठ जनपद महोवा का अभथपत्र निम्निल खाहै :-

मै राम्द्रेन्द्र सिंह निरंजन उपर्युक्त अभिसा क्षीपाध्यमूर्वक निम्निकितिका अभिक्रथम करता हूँ कि :-

हैं। हैं यह: स शाथी द्वारा अपने सेवायोजन के सम्बन्ध में जो सकता विकि प्रवालपण तथा प्रवत्र इत्याद्भि दिया गयाहै वह सहीहै।

्रें 28 यहर् के शम्यी के पिता श्री कंजिबहारी निरंजन की मृत्यु विनोद : 26/09/2007 ईंट को हईथी अपथी के पिता मृत्यु के सम्य थाना आटा जनपद जातीन में नियुज्तये ।

§3 है यह कि अपन्नी के परिवार मे अमधी के आतिरकत निन्न सदस्यहै जिनमें से किसी की भी

सेवा योजन का लाभ नहीं दिया गया है।

1- प्रमा निरंजन विवाहित आयु 32 वर्ष उन्हें सिंह निरंजन विवाहित आयु 30 वर्ष उन्हें कुसार निरंजन विवाहित आयु 25 वर्ष भूग प्रीति हिरंजन अविवाहित आयु 16 वर्ष

शेष शार....

रालते हासिहानरान


के प्राप्त का विवरण अ दि सहीहे एवं वह मृतक का वास्तविक वारिसहै।

के यह किश्मधी के परिवारमें स्व0 कमी की मृत्यु के बाद िक्सी भी अन्य सदस्य

दारा कभी भी मृतक आश्रित सेवायोजन नियम। वली के अन्तगर्त सेवायोजन का लाभ
नहीं लियागयाहै।

है । यह कि शाध्यम के पुस्तर । से 5 तक में अंकित कथन सत्यहै तथा शाधी दारा कोई भी तथ्य जिपाया नहीं गया है।

राध्वेन्द्र सिंहिरियेजन



Alle Company

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद-। संख्या:18/ए-1(5-ए)2008, दिनांक:फरवरी 24,2008

सेवा ों,

समस्त कार्यालयाध्यक्ष पुलिस विभाग,उत्तर प्रदेश।

विषय:

उत्तर प्रदेश मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली-1974 यथा संशोधित 1993 एंव 2006 के अधीन सरकारी कर्मचारियों की सेवाकाल में मृत्यु हो जाने की अवस्था में पाँच वर्ष से ऊपर के प्रकरणों में परिवार के आश्रितों में से एक सदस्य को मृतक आश्रित के रूप में सेवायों जन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में समय सीमा की छूट विषयक प्रस्ताव प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में 'फूलप्रूफ सिस्टम'' को लागू किया जाना ।

विगत वर्षों से कतिपय मृतक आश्रितों को सेवायोजन दिये जाने के फर्जी मामले प्रकाश में आने एवं रिट याचिका संख्या 11505/2006 अवनीश कुमार बनाम उत्तर प्रदेश व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इसे संज्ञान में लिये जाने के उपरान्त उत्तर प्रदेश शासन ने शासनादेश संख्या:146/6-पु0-10/2008-1200 (173)/07. दिनांक 24.01.2008 द्वारा मृतक आश्रित सेवायोजन नियमावली-1974 के अन्तर्गत चयन प्रक्रिया को और अधिक फुल प्रूफ बनाये जाने एवं हर स्तर पर दायित्व निर्धारित करने के निर्देश दिये गये हैं।

2- वर्तमान में प्राप्त शासनादेश संख्या:6/12/73-का-2/2006, दिनांक 28.7.2006 में मृतक आश्रित नियमावली के नियम-5(1) में प्राविधानित है कि "जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवायोजन के लिये आवेदन करने के लिये नियत समय सीमा में किसी विशिष्ट मामले में अनावश्यक कठिनाई होती है वहाँ वह अपेक्षाओं की जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझें अवमुक्त या शिथिल कर सकती है, परन्तु यह और कि उपयुक्त के परन्तुक के प्रयोजन के लिये समबद्ध व्यक्ति कारणों को स्पष्ट करेगा और आवेदन के लिये नियत समय सीमा के अवसान के पश्चात् सेवायोजन के लिये आवेदन करने के विलम्ब के सम्बन्ध में ऐसे विलम्ब के समर्थन में आवश्यक अभिलेख/सबूत सहित लिखित में समुचित औचित्य देगा और सरकार विलम्ब के कारण के लिये सभी तथ्यों पर विचार करते हुए समुचित निर्णय लेगी"।

2. उपर्युक्त परिस्थितियों एवं शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में मृतक आश्रित सेवायोजन नियमावली के अन्तर्गत सेवायोजन एवं समय सीमा में छूट के सम्बन्ध में पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्गत विभिन्न परिपन्नों के माध्यम से समय समय पर दिये गये दिशा निर्देशों के कम में वर्तमान में निम्न निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की

जायेगी :-

सेवाकाल में मृत पुलिस कर्मियों के आश्रितों के पक्ष में सेवायोजन का फर्जी प्रकरण रोकने के उद्देश्य से पुलिस मुख्यालय के परिपन्न संख्या:18ए-(सातवां संगोधन/मृ0आ0) 2006 दिनांक 24.9.2006 एवं परिपन्न संख्या:18/ए-6िरेट(64), 2006. दिनांक 5.9.2006 के अनुरूप प्रस्ताव नियमानुसार तैयार कराकर प्रत्येक त्रैमास के अन्त में एक बार उक्त प्रस्तावों को स्वयं पुलिस उपाधीक्षक/क्षेत्राधिकारी कार्यालय व्यक्तिगत रूप से पुलिस मुख्यालय के संबंधित अनुभाग में उपस्थित होकर उपलब्ध करायेंगे तथा प्रस्ताव अग्रसारण पत्र पर कार्यालय प्रमुख द्वारा अपना स्पष्ट नाम व मुहर इस टिप्पणी के साथ अंकित करेंगे कि यह प्रस्ताव अमुक क्षेत्राधिकारी कार्यालय द्वारा स्वयं पुलिस मुख्यालय में उपस्थित होकर उपलब्ध कराया जायेगा ।

4. मृतक आश्रित को समय सीमा में छूट प्रदान किये जाने विषयक प्रस्ताव शासन को नवीन शासनादेश दिनांक 28-7-2006 के अनुरूप समय सीमा में छूट विषयक प्रस्ताव में निम्नलिखित अभिलेखों सहित पुलिस मुख्यालय को अविलम्ब उपलब्ध कराया जायेगा

1- 20 बिन्दुओं की सम्पूर्ण सूचना निर्धारित प्रारूप में तीन प्रतियों में (जिसमें कार्यालय प्रमुख द्वारा सभी पृष्ठों पर नाम/पदनाम की मोहर सहित हस्ताक्षर हों)

217

\$ 3

- 2- मृतक की पत्नी द्वारा सर्वायोजन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में सर्व दिये गये प्रार्थना-पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि ।
- 3- मृतक के पुत्र द्वारा बालिग होने पर सेवायोजन हेतु सर्वप्रथम ि। प प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि ।
- मृत्यु के पाँच वर्ष के अन्दर कुटुम्ब के अन्य सदस्यों द्वारा सेवायोजन प्राप्त न किये जाने का औचित्य, आवश्यक अभिलेख/सबूत।
- मृत्यु की परिस्थितियों का विवरण जिसमें मृत्यु के कारणो का स्पष्ट उल्लेख हो, तीन प्रतियों में जिसमें पुलिस अधीक्षक के हस्ताक्षर एव नाम/पदनाम मुहर
- मृतक के परिवार के सदस्यों की आय का स्रोत एवं धनराशि का विवरण (तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण-पत्र)।
- आवेदक के घर के पते पर राजपत्रित अधिकारी से कराई गयी जॉय आख्या की प्रति जिसमें सभी आश्रितो का विवरण नाम, उम्र. आय के श्रोत/धनराणि. विवाहित/अविवाहित, आवेदक को ही सेवायोजन दिलाये जाने का कारण, मृतक की पत्नी द्वारा सेवायोजन न लिये जाने का औचित्य पूर्ण कारण इत्यादि का विस्तृत विवरण अकित होना आवश्यक है।
- मृतक की पत्नी के पक्ष में जारी किया गया पेंशन भुगतानादेश की पठनीय (१५(१९^१) । प्रमाणित[े] प्रतिलिपि । of the interpolar 9-
 - मृतक कर्मचारी की जन्मतिथि/भर्ती तिथि/मृत्यु की तिथि ।

5- मृतक आश्रित के सेवायोजन प्रस्ताव सम्बन्धित जनपद/इकाई के क्षेत्राधिकारी कार्यालय/पुलिस उपाधीक्षक अथवा जनपद/इकाई के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नामित अधिकारी ही लेकर आयेंगे। इस आशय का प्राधिकार .. पत्र लायेगें कि उन्हें सेवायोजन प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय में उपलब्ध कराने हेतु अधिकृत किया जाता है, प्राधिकार पत्र में भेजे जीने प्रस्तावों का उल्लेख होगा तथा नामित अधिकारी का हस्ताक्षर सम्बन्धित ार पि जर्निपद इकाई के वरिष्ठ पुलिसअधीक्षक सेनानुग्यक अथवा कार्यालय -अध्यक्ष द्वारी प्रमाणित होगा। इस हेतु अपने साथ अपने नाम व पदनाम की मुहर अवश्य लायेंगे अन्यथा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेगे।

> डा० संजयं एम० तरडे पुलिस उपमहानि रीक्षक,स्थापना उत्तर प्रदेश।

संख्या तथा दिनांक वही

प्रतिलिपि: विशेष सचिव (गृष्ठ), उत्तर प्रदेश शासन, गृष्ठ पुलिस अनुभाग-10. लखनऊ को भासन के निर्देश संख्या:146/6-पु0-10/2008-1200(173)/07, दिनांक 24. 01.2008 के संदर्भ में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

संख्या तथा दिनांक वही

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित:-अपर् पुलिस महानिदेशक,कार्मिक,उत्सर प्रवेश लखनऊ। 2-

पुलिस महानिवेशक के सहायक उत्तर प्रवेश लखनऊ पुलिस महानिरीक्षक,स्थापना,उत्तर प्रदेश लखनऊ। 3-

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण पुलिस मुख्यालय,इलाहाबाद। 4-

अनुभाग अधिकारी, अनुभाग-20 को पाँच प्रतियों गजट एवं गार्ड फाइल पर रखने हेतु ।

समस्त अनुभाग अधिकारी पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद 6-समस्त गोपनीय सहायक,,पुलिस मुख्यालय,इलाहाबाद।

उत्तर प्रदेश पुलिस संस्था:18/ए-1 (05)2008,

🙀 भागात अगर अनुसार छन्। १८४ ।

मुख्यालय १ इलाहाबाद-। दिनांक:फरवरी 🔏 ।,2008

1. 约、例:精一声

सेवा में,

समस्त कार्यालयाध्यक्ष में प्रतिस विभाग उत्तर प्रदेश।

विषय:

粉化物色

उत्तर प्रदेश मृत सरकारी सेवको के आश्रितो की भर्ती नियमावली-1974 के अधीन सरकारी कर्मचारियों की सेवाकाल में मृत्यु हो जाने की अवस्था में परिवार के आश्रितों में से एक सदस्य को मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में 'फूलप्रूफ सिस्टम'' को लागू किया जाना।

उपर्युक्त विषयक प्रकरण में यह तथ्य संज्ञान में लाना है कि विगत वर्षों से कतिपय मृतक आश्रितों को सेवायोजन दिये जाने के फर्जी मामले प्रकाश में आने एवं रिट याचिका संख्या 11505/2006 अवनीया कुमार बनाम उत्तर प्रदेश व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इसे संज्ञान में लिये जाने के उपरान्त उत्तर प्रदेश शासन ने शासनादेश संख्या:146/6-पु0-10/2008-1200 (173)/07, दिनांक 24.01.2008 द्वारा मृतक आश्रित रोयायोजन नियमायती प्राप्त के अन्तर्गत चयन प्रक्रिया को और अधिक फुल प्रूफ बनाये जाने एवं हर स्तर पर दायित्व निर्धारित करने के निर्देश दिये गये हैं।

2 उपर्युक्त परिस्थितियों एवं शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में मृतक आश्रित सेवायोजन नियमावली के अन्तर्गत सेवायोजन के सम्बन्ध में पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्गत विभिन्न परिपत्रों के माध्यम से समय समय पर दिये गये दिशा निर्देशों का अतिक्रमण करते हुये वर्तमान में निम्न निर्देशों के अनुष्ध का बन्धियां ।-

2अ-भुतक आश्रितो के सेवायाजन का प्रस्ताव तैयार करने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश

- (।) मुतक आश्रितो के सेवायाजन का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश मृत सरकारी सेवको के आश्रितो की भर्ती नियमावली-1974 एवं संशोधित 1993 के अधीन उल्लिखित प्रावधान के अर्न्तगत ही तैयार किया जायेगा
- (2) सेवायोजन हेतु प्रस्तावित मृतक आश्रित से सेवायोजन हेतु प्रार्थना-पत्र लिया जायेगा जिसमे दिनांक व हस्ताक्षर अकिंत होगा साथ ही सक्षम प्राधिकारी का पृष्ठाकंन अवश्य अकिंत होगा जिससे यह निर्धारित किया जा सकेगा कि उक्त आश्रित द्वारा सेवायोजन हेतु प्रार्थना-पत्र पाँच वर्ष के अन्दर ही दिया गया है अथवा बाद में।
 - (3) मृतक आश्रित द्वारा दिये गये समस्त भौक्षिक प्रमाण-पत्रो का सित्यापन सम्बन्धित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एव विश्वविद्यालय से कराया जायेगा तथा हाई स्कूल से कम शिक्षित होने पर उसके शैक्षिक प्रमाण-पत्र का सत्यापन जिला विद्यालय निरीक्षक से कराया जायेगा। आरक्षित वर्ग के आश्रितो के जाति सम्बन्धी प्रमाण-पत्र का सत्यापन सम्बन्धित जिलाधिकारियो के माध्यम स कराया जायेगा। सभी सत्यापन आख्याये प्रस्ताव के साथ मूलक्प में ही पुलिस मुख्यालय को प्रेषित की जायेगी तथा इसकी द्वितीय प्रति सम्बन्धित जनपद/इकाई के पत्रावली पर रखा जायेगा जो स्थाई अभिलेख होगा।
- (4) यदि किसी मामले में एक से अधिक आश्रित सेवायोजन हेतु रिक्सी प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हैं तो सक्षम प्राधिकारी उत्तर प्रदेश मृत सरकारी सेवको स्त्र रिक्सी भें आश्रितों की भर्ती नियमावली-1974 के नियम-7 में दिये गये प्रावधानों के

का का मर्थ

अर्न्तगत अधिकारो का प्रयोग करते हुये उपयुक्त मृतक आश्रित का वयन करके परिताद तैयार करायेगे।

(5) पुलिस मुख्यालय भेजे जाने वाले मृतक आश्रितों के सैवायोजन सम्बन्धी प्रस्ताव का चेकलिस्ट प्रारूप 36 बिन्दुओं को होगा, जिसमें प्रत्येक बिन्दु पर स्पष्ट सूचना अंकित करने के उपरान्त चेक लिस्ट में अकित विन्दुओं के समक्ष भेजे जाने वाले प्रपत्रों का परिशिष्ट के रूप में उल्लेख किया जायेगा। (चेकलिस्ट प्रारूप की प्रति संलग्न है)

ji.

ï

Note I Partie

File Page 19

POLA PORT NOT

A Bas

- (6) मृत कर्मचारी से सम्बन्धित सभी सूचनाये उसके सेवाभिलेख में अिकंत तथ्यों के आधार पर ही अिकंत की जायेगी जन्मतिथि/भर्ती की तिथि एंव मृत्यु की तिथि के सम्बन्ध में साक्ष्य के रूप में वे क्रमणः सेवा अभिलेख के प्रथम-पृष्ठ एंव मृत्यु का प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति प्रतिहस्ताक्षरित कर संलग्न की जायेगी।
- (7) मृत कर्मचारी के कुटुम्ब की सूची के सम्बन्ध में पेशन भाग-2 की प्रमाणित प्रति प्रतिहस्ताक्षरित कर संलग्न की जायेगी।
- (8) उत्तर प्रदेश मृत सरकारी सेवको के आश्रितो की भर्ती नियमावली- 1974 एवं संशोधित 1993 के अधीन सेवायोजन का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध मृत कर्मचारी के मूल निवास एवं अस्थाई निवास(यदि कोई हो.) के पते पर राजपत्रित अधिकारी से जॉच कराई जायेगी जिसमें चेक लिस्ट के प्रारूप के विन्दु संख्या-18 के अनुरूप स्पष्ट आख्या प्राप्त की जायेगी । जॉच आख्या भ्राप्त की जायेगी । जॉच आख्या भ्राप्त की साथ मूलरूप में सम्बन्धित कार्यालयाध्यक द्वारा स्वय प्रतिहस्ताक्षरित कर
 - (9) सैवायोजन हेतु मृत कर्मचारी की पत्नी से इस आशय का शपथ-पत्र लिया जायेगा कि वह किसे सेवायोजन दिलाना चाहती है प्रारूप 'क' में शपथी के फोटोग्राफ युक्त शपथ-पत्र लिया जायेगा जो प्रस्ताव के साथ मूलरूप में प्रेषित किया जायेगा।
 - (10) सेवायोजन हेतु मृत कर्मचारी के परिवार के अन्य समस्त का क्रिकेट वयस्क सदस्यो का इस आशय का शपथ-पत्र लिया जायेगा कि वे किसे सेवायोजन दिलाना चाहते हैं । प्रारूप "ख" में शपथी के फोटोग्राफ युक्त शपथ-पत्र लिया जायेगा जो प्रस्ताव के साथ मूलरूप में प्रेषित किया जायेगा।
 - (11) सेवायोजन हेतु प्रस्तावित मृतक आश्रित से प्रारूप "ग''में शपथी के फोटोग्राफ गुक्त शपथ-पत्र लिया जायेगा जो प्रस्ताव के साथ मूलरूप में प्रेषित किया जायेगा।
 - (12) उत्तर प्रदेश मृत सरकारी सेवको के आश्रितो की भर्ती नियमावली- 1974 एवं संशोधित 1993 के अधीन किसी भी आश्रित को सेवायोजन का लाभ नहीं दिया गया है से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र-घ भर कर प्रेषित किया जायेगा।
 - (13) मृतक आश्रित का चरित्र सत्यापन उसके स्थाई व अस्थाई पते तथा अभिसूचना मुख्यालय से कराया जायेगा जिसे मूलक्प में प्रस्ताव के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जायेगा। चरित्र सत्यापन प्रपत्र पर मृतक आश्रित अभ्यर्थी की फोटोग्राफ चस्पा होगी जिसे सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा ताकि यह स्पष्ट हो सके कि सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा किस व्यक्ति का सत्यापन किया गया है।

Smil

- (14) दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र जो छ: माह से अधिक का न हो मूलरूप में प्रस्ताव के साथ संलग्न कर प्रेषित् किया जायेगा।
- (15) मृतक आश्रित का पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ प्रस्ताव के प्रस्तर-30 के समक्ष चस्पा किया जायेगा एव दो फोटोग्राफ अलग से सादे कागज पर चस्पा किया जायेगा जिस पर मृतक आत्रित का विवरण अकिंत किया जायेगा जिसे सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा स्वय ही प्रमाणित किया जायेगा।
- (16) मृतक आश्रित का नाप जोख सादे कागज पर किया जायेगा। प्रतिसार निरीक्षक निरीक्षक द्वारा नाप जोख स्वयं कियाई जायेगा (और अपने हाथ से नाप अकित की जायेगी तथा प्रमाण-पत्र आश्रित को फोटोग्राफ वस्पा कर प्रमाणित किया जायेगा। प्रतिसार निरीक्षक द्वारा प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर के साथ नाम पदनाम की मुहर एवं दिनाक अंकित की जायेगी प्रमाण-पत्र पर किसी भी प्रकार की कोई कटिंग अथवा ओवर राइटिंग नहीं की जायेगी। प्रमाण पत्र को सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा स्वय प्रतिद्वस्ताक्षरित कर मूलक्प्रमें संलग्न कर प्रेषित किया जाय। जिसका प्रारूप संलग्न है।
- (17) मृतक आश्रित का चिकित्सा स्वास्थ्य परीक्षण मेडिकल मैनुअल में निर्धारित प्रारूप में ही किया जायेगा यदि किसी पदः पर नाप जोस की आवश्यकता होगी तो मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा नाप जोख तथा वजन भी अकित किया जायेगा, तथा प्रमाण-पत्र पर आश्रित का फोटोग्राफ चस्पा कर प्रमाणित किया जायेगा मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर के साथ नाम पदनाम की मुहर एवं दिनाक अकिंत की जायेगी प्रमाण-पत्र पर किसी भी प्रकार की कोई कटिंग अथवा ओवर राइटिंग नहीं की जायेगी। प्रमाण पत्र को सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा स्वय प्रतिहस्ताक्षरित कर मूलरूप संलग्न कर प्रेषित किया जाय
- (18) उत्तर प्रदेश मृत सरकारी सेवको के आश्रितो की भर्ती नियमावली-1974 एवं संशोधित 1993 के अधीन इस आशय का प्रमाण-पत्र की प्रस्तावित मृतक आश्रित के सम्बन्ध में प्रेषित की जाने वाली सभी सूचनाओं का भली भाति परीक्षण कर लिया गया है। अंकित सूचनाये एंव संलग्न प्रपत्र पूर्णता सत्य है एंव प्रकरण का पुलिस कार्यालय में रखें मृतक आश्रितो के सेवायोजन प्रदान किये जाने विषयक स्थायी रजिस्टर में क्रमांक पर अकित कर दिया गया है से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र-घ भर कर प्रेषित किया जायेगा ।
- (19) उत्तर प्रदेश मृत सरकारी सेवको के आश्रितो की भर्ती नियमावली-1974 एवं संशोधित 1993 एवं 2006 के अर्र्तगत तैयार किये गये प्रस्ताव के प्रत्येक पृष्ठ पर एवं उसके साथ संलग्न समस्त प्रपन्नों पर स्वय कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर पदनाम की मुहर के साथ अकित होगा कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर के द्वारा ही भेजा जायेगा।
- (20) मृतक आश्रित के सेवायोजन प्रस्ताव सम्बन्धित जनपद/इकाई के क्षेत्राधिकारी कार्यालय/पुलिस उपाधीक्षक अथवा जनपय/इकाई के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नामित अधिकारी ही लेकर आयेंगे। इस आशय का प्राधिकार पत्र भी लायेगें कि उन्हें सेवायोजन प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय में उपलब्ध कराने हेतु अधिकृत किया जाता है, प्राधिकार पत्र में भेजे जाने प्रस्तावों का उल्लेख होगा तथा नामित मोध कि विकास का हस्ताक्षर सम्बन्धित जनपद/इकाई के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित क्षिक्रिल कि कि कि होगा कि इस हेतु अपने साथ अंपने नाम व प्रदत्तामः की क्मुहर्सकअंद्रश्य लायेंगे अन्यथा 1585 के 0901**प्रस्ताव**ं स्त्रीकार नहीं किये जायेगे, जिससे कउनसे कसेवायोजनाईके सत्यापन का किए में १७३ **ंप्रमाण-पत्र प्राप्त**्रकिया जा**ेसके । प्रमाण-पत्र का प्रारूप संल**एन**्है** । Francisco Constant Constant
 - (21) पीएसी वाहिनियों के मृतक आश्रित के सेवायोजन प्रस्ताव बी ा प्रतियों पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा क्योकि। प्रस्ताव अनुमोदनोपरान्त

on the model mich

आवश्यक कार्यवाही हेतु पीएसी मुख्यालय को भेजा जाता है तथा इसकी प्रति पुलिस मुख्यालय में रखी जायेगी।

- (22) प्रस्ताव के साथ कार्यालय के सम्बन्धित सहायक मृतक आश्रित के सेवायोजन की मूल पत्रावली सहित अनिवार्य रूप से राजपत्रित अधिकारी के साथ पुलिस मुख्यालय में आयेंगे।
- (23) मृतक आश्रित का जो प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय में उपलब्ध कराया जायेगा, उसकी एक अतिरिक्त प्रति स्व0 कर्मी के सम्बन्धित प्रस्तावक कार्यालय में स्थायी रूप से रखा जायेगा, जिसे कभी नष्ट नहीं किया जायेगा। यह स्थायी अभिलेख होगा।
- (24) मृतक आश्रितों के सवायोजन के प्रकरण में जो भी पत्राचार जनपद/इकाई से किया जायेगा उस पत्र पर अधिकारी का नाम/पदनाम अंकित होगा अन्यया पुलिस मुख्यालय द्वारा उसे संज्ञान में नहीं लिया जायेगा।

24- पुलिस मुख्यालय के अनुमोदन आदेश के उपरान्त मृतक आश्रितो को नियुक्ति आदेश दिये जाने से पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी का दायित्व

- (1) पुलिस मुख्यालय द्वारा अनुमोदन ''बारकोड'' युक्त अनुमोदन पत्र निर्गत किया जायेगा तथा अनुमोदन आदेश पर आश्रित का जनपद/उकाई से प्राप्त प्रमाणित फोटो चस्पा रहेगा । कार्यालयाध्यक्ष/नियुक्ति अधिकारी 'बारकोड'' एवं प्रेटीयुक्त अनुमोदन आदेश मूल रूप में प्राप्त होने पर ही सेवायोजन के सम्बन्ध्य नियमानुसार कार्यवाही करेंगे।
- (2) कार्यालयाध्यक्ष/नियुक्ति अधिकारी मृतक आश्रित के पक्ष में सैवायोजन हेतु पुलिस मुख्यालय से अबुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त स्वयं आश्रित का साक्षात्कार लेंगे एवं पूर्णरूपेण संस्तुष्ट होने के उपरान्त कि वह वान्तव में मृतक आश्रित है तथा सब प्रकार शासकीय सेवा हेतु अई है। इसके सेवायोजन में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है, तभी उसे सेवायोजित करने की कार्यवाही करेंगे।
- (3) मृतक आश्रित की नियुक्ति के पूर्व नियुक्ति अधिकारी पूरी तरह संस्तुष्ट होने के उपरान्त मृतक आश्रित से एक शपथ-पत्र जिसमें उसका फोटोग्राफ भी चस्पा होगा, लेंगे, जिसमें स्व0 कर्मी का नाम, पदनाम मृत्यु का दिनांक तथा उसके वास्तविक मृतक आश्रित होने एवं परिवार के अन्य किसी रादरय क्षारा मृतक आश्रित सेवायोजन नियमावली के अन्तर्गत सेवायोजन का लाभ न लिये जाने का उल्लेख होगा। उक्त शपथ-पत्र की एक प्रति आश्रित के सेवायोजन पत्रावली पर रखा जायेगा तथा दूसरी छायाप्रति कार्यालयाध्यक्ष द्वारा स्वयं प्रमाणित करते हुये मृतक आश्रित के नियुक्ति आदेश की प्रति सहित कार्यालय प्रधान अपने स्वयं के हस्ताक्षरित पत्र द्वारा इसे पुलिस मुख्यालय अग्रसारित करेंगे। (आश्रित से नियुक्ति के पूर्व लिये जाने वाले शपथ-पत्र संलग्न प्रारूप में लिया जायेगा)
- (4) मृतक आश्रितों के पक्ष में जनपद/इकाई स्तर से निर्गत होने वाले नियुक्ति आदेश का आलेख सादे "फुलस्केप पेपर" पर सलग्न प्रारूप में ही निर्गत किया जायेगा (नियुक्ति आदेश का प्रारूप संलग्न है)
- (5) इस सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि विगत वर्णों में कतिपय मृतक आश्रितों के फर्जी सेवायोजन के मामले प्रकाश में आने के फलस्वरूप शासन ने शासनादेश संख्या:146/6-पु0-10/2008-1200(173)/07. दिनांक 24.01.2008 द्वारा मृतक आश्रित सेवायोजन नियमावली के अन्तर्गत वयन प्रक्रिया को और अधिक फुल प्रूफ बनाये जाने एवं हर स्तर पर दायित्व निर्धारित करने के निर्देश वियम है। अतः एस0आई0(एम)/आशुलिपक सथा उपनिरीक्षक ना0पु0 के दक्षता मूल्यांकन में सफल अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश पुलिस मुख्यालय स्तर से नहीं निर्गत किये जायेंगे है। यह आदेश भविष्य में सम्बन्धित जनपद/इकाई के परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, के स्तर से, पुलिस मुख्यालय के अनुगोयन आदेश निर्गत किये जाने के उपरान्त, नियमानुसार निर्गत किये जायेंगे।

Shar

- (6) किसी भी मृतक आश्रित को सर्वप्रथम उसी जनपद/इकाई में नियुक्ति प्रदान की जायेगी, जिस जनपद/इकाई से आश्रित के स्व() पिता/पित की मृत्यु हुयी। किन्तु यदि आश्रित गिहला है और उसे कान्सटेबित के पद पर नियुक्त किया जाना है तो उसकी नियुक्ति आदेश सम्बन्धित वाहिनी/एकाई के जनपदों में ही की जायेगी क्योंकि पीएसी वाहिनियों में महिला आरक्षियों की नियुक्ति नहीं की जाती है तथा इकाई में महिला आरक्षियों की किट नहीं होती है।
- (7) मृतक आश्रित के सेवायोजन के उपरान्त उसके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 01 वर्ष तक उसे किसी परिस्थिति में वहाँ से स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा, तथापि यदि किसी स्तर से उसका स्थानान्तरण हो जाता है. तो सम्बन्धित जनपद/इकाई से उक्त आश्रित को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 01 वर्ष तक किसी भी परिस्थिति में कार्यमुक्त नहीं किया जायेगा। यदि ऐसा किया जाता है तो सम्बन्धित कार्यालय स्वय उत्तरदायी होगें । यदि किन्ही विशेष परिस्थिति में ऐसा किया जाना अपरिहार्य हो तो इस सम्बन्ध में पूर्ण विवरण प्रेषित कर पुलिस मुख्यालय का स्पष्ट निर्देश प्राप्त कर लिया जाय ।
- 3. कृपया मृतक आश्रित सेवायोजन नियमावली के अन्तर्गत सेवायोजित करने के सम्बन्ध में दिये जा रहे दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। यह परिपत्र कार्यालय की गार्डफाइल में स्थाई रूप सेरखा जायेगा। संलग्नक उपरोक्तानुसार ।

डा० संजय एमं० तरडे पुलिस उपमहानिरीक्षक स्थापना उत्तर प्रदेश।

संख्या तथा दिनांक वही

प्रतिलिपि: विशेष सचिव(गृह),उत्तर प्रदेश शासन गृह पुलिस अनुभाग-10, लखनऊ को शासुन के निर्देश संख्या: 146/6-पु0-10/2008-1200 (173)/07, दिनांक 24.01.2008 के संदर्भ में सादर सूचनार्थ प्रेषित। संख्या तथा दिनांक वही

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित:-अपर पुलिस महानिदेशक,कार्मिक,उत्तर प्रदेश लखनऊ। 1-पुलिस महानिदेशक के सहायक,उत्तर प्रदेश लखनऊ 2-पुलिस महानिरीक्षक,स्थापना,उत्तर प्रदेश लखनऊ। 3-समस्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद। 4-5-समस्त विशेष कार्याधिकारी,पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद । अनुभाग अधिकारी, अनुभाग-20 को पाँच प्रतियों गजट एंव गार्ड 6-फाइल पर रखने हेतु । समस्त अनुभाग अधिकारी पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद 7-8-समस्त गोपनीय सहायक,,पुलिस मुख्यालय,इलाहाबाद।

C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\18-A-1-(5)-2008circulor.doc

12

13

14

15

चेक लिस्ट/प्रारूप

उत्तर प्रदेश मृत सरकारी सेवको के आश्रितो की भर्ती नियमावली-1974 सपठित

	मावली–1993, 2006 के अधीन सरकारी		
उपर	रान्त परिवार के आश्रितो मे से एक स	दस्य को मृतक आश्रित के रू	प में
	योजन प्रदान किये जाने विषयक प्रस्ताव	•	
1-	मृत सरकारी सेवककानाम		
2-	मत सरकारी सेवक का पदनाम		

सरकारी सेवक की मृत्यू पूर्व 3-मृत नियुक्ति स्थान/कार्यालय का नाम मृत सरकारी सेवक की जन्मतिथि (सेवा 4-

अभिलेख के अनुसार प्रथम पृष्ठ की परिश्वािष्ट-प्रमाणित छायाप्रति संलग्न की जाय मृत सरकारी सेवक की भर्ती तिथि 5-

6-मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति प्रकार (तदर्थ/नियमित/स्थाई/अस्थाई

आकस्मिक) 7-मृत सरकारी सेवक की मृत्यू तिथि (मृत्यु का प्रमाण-पत्र के अनुसार, कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर संलग्न किया जाय)

8 मृत सरकारी सेवक की की मृत्यु पॅरिस्थितियो का संक्षिप्त विवरण मृत सरकारी सेवक, 9 मृत्यू के समय डियुटी पर था अथवा अवकाश पर

सरकारी सेवक के कुटुम्ब 10 के सॅदस्यो का नाम आयु (हाईस्कूल की सनद अथवा जन्म प्रमाण-पत्र के नाम---नाम-अनुसार)तथा आय व वैवाहिक स्थिति 11 मृत सरकारी सेवक की एक से अधिक नाम---पॅटिनयॉ हो तो पत्नियो के नाम नाम--

आय् (हाईस्कूल की सनद अथवा प्रमाण-पत्र के अनुसार मृत सरकारी सेवक के पत्नी के इस आशय का शपथ-पत्र वह किसे दिलाना चाहती है, सेवायोजन का विवरण एवं परिवार के समस्त सदस्यो परिशिष्टः

वयस्क /अवयस्क दोनो का विवरण

जिन्हे सेवायोजन दिलाना चाहते हो, के

पक्ष में (प्रारूप-ख)

(नाम/आयु/शिक्षा/व्यवसाय)अकिंत सम्मिलित हो से सम्बन्धित शपथ-पत्र (प्रारूप-क) के कुटुम्ब के सरकारी सेवक परिशिष्ट---संदस्यो का वार्षिक आय का विवरण परिशिष्ट----इस् आशय का प्रमाण-पत्र की स्थायी सदस्यों के नाम की सूची अभिलेख एवं पेंशन प्त्रावली प्र प्रस्तुत परिशिष्ट--

की सूची से सेवायोजन पेशनभाग दो की प्रमाणित प्रस्ताव के लिये प्रस्तुत कुटुम्ब की सूची की समीक्षा कर ली ग्यी कोई सूची परिशिष्ट--नही पाया गया प्त्रावली पर प्रस्तुत कुटुम्ब की सूची की प्रमाणित प्रति (पेंशन प्रपत्र भाग दो संलग्न किया जाय) मृत सरकारी सेवक के कुटुम्ब के परिशिष्ट-वयस्क सदस्यो का शपथ-पत्र सहमति परिशिष्ट-

> कार्यालय प्रमुख का नाम पद नाम जनपद/इकाई का नाम

परिशिष्ट-

परिशिष्ट-

6	मत सरकारी सेवक के आश्रित के पक्ष	
١ '	मृत सरकारी सेवक के आश्रित के पक्ष में निर्गत किये गये पी0पी0ओ0/जी0पी0	
	ओ० की संख्या व दिनांक (प्रमाण हेतु	
	आंध का संख्या व दिनाक (प्रनाम हिंदु)	गरिषाहर
	प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)	परिशिष्ट
7	मृत सरकारी सेवक के कुटुम्ब के एक	
ļ	से अधिक सदस्यो द्वारा सेवायोजन का	ميسة ميسة ميسة ميش ميسة ميسة ميشة ميشة ميسة ميسة ميسة ميسة ميسة ميسة ميشة ميسة ميسة ميسة ميسة ميسة ميسة ميسة ميس
- [मॉग की जा रही है तो उनमें से जिस	
	आश्रित को नामित किया जा रहा है।	
	उससे नामित किये जाने के कारण	
ļ	सहित विस्तृत विवरण अकिंत करें	
	साहत विस्तृत विवासित वर्ष	The second secon
8	मृतक आश्रित सेवायोजन नियमावली-	
- [1974 के अर्न्तगत इससे पूर्व कुटुम्ब के	
.	किसी आश्रित सदस्य की नियुक्ति की सुविधा प्राप्त हुई हो तो ऐसी स्थिति में	
	सुविधा प्राप्त हुई हो ता एसा स्थित म	
	स्पेड्ट किया जाय किस सम्बान्धत का	
	किय पद पर नियक्ति दी गयी है तथा।	
	इस सम्बन्ध में पुलिस मुख्यालय के आदेश संख्या व दिनांक का उल्लेख	
	आदेश संख्या व दिनांक का उल्लेख	
	करें।	·
0	इस आशय का प्रमाण-पत्र कि मृत	
9	सरकारी सेवक के किसी भी आश्रित	परिश्रिष्ट
	सरकारा सवक क किता का जाति।	11 3131 =
	को उत्तर प्रदेश मृत सरकारी सेवको के आश्रितो की भर्ती नियमावली-1974	
	क आश्रिता को भूता नियमविला-1974	
	सपठित नियमावली-1993, 2006 के	
	अधीन के अधीन सेवायोजन का लाभ	
	प्रदान नही किया गया है से सम्बन्धित	
	1	
20	प्रमाण पत्र (प्रारूप-घ) मृत सरकारी सेवक के घर के पते	परिशिष्ट
LU	(स्थायी एवं अस्थायी) पर सम्बन्धित	अनुलग्नक-
	केलारिकारी से कराई गयी जॉच आख्या	अन्लग्नक-
	कि गर्म गरि जिसमें मतक के कटम्ब	अनुलग्नक-
	की मूल प्रति जिसमे मृतक के कुटुम्ब के किसी भी सदस्य को पूर्व में	9
	क किसा भा सदस्य पर पूप प	
	किया गया है तथा अवयस्क वयस्क	
	सदस्यो की वैवाहिक स्थिति तथा आय	<u> </u>
	का श्रोत और यदि किसी सेवा में है	
	तो उसका विवरण सम्बन्धित प्रमाण-पत्र	1
	मृतक आश्रित का नाम	
21	निवित्र आप्रिय न्या ।।।	
	A PAR PARTER	
22	मृतक आश्रित की जन्मतिथि हाईस्कूल	
	मृतक आश्रित का जन्माताय हार्यहरी के समद् अथवा जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार अंको तथा शब्दो में।	
	अनुसार अको तथा शब्दा म।	
		The second secon
23	मृतकआश्रित की शैक्षिक योग्यता	
24	मृत सरकारी सेवक के आश्रित का	
24	मृत सर्पारी सप्त जिल्हे सेवायोजन हेतु नामित	परिशिष्ट
	Sida-dy lote datalating	
	किया गया है (प्रारूप-ग)	पार्थनापत्र
25	मृतक आश्रित का प्रार्थना-पत्र जिसमें	י יול פונצ
	मृतक आश्रित की प्रायमान्त्र प्राप्त मार्गिक योग्यता आयु, अपेक्षित पद की उल्लेख तथा जाति विषयक प्रमाण-पत्र	4 C 7
	उल्लेख तथा जाति विषयक प्रमाण-पत्र	पिराशेष्ट
	यदि आरक्षित वर्ग से है तो दिनांक	1 4 ((((((((((((((((((
	सहित)	परिशिष्ट

कार्यालय प्रमुख का नाम पद नाम जनपद/इकाई का नाम

	•	
26	शैक्षिक प्रमाण-पत्रों/अंक तालिकाओ का	मा0शि0बोर्ड- परिशिष्ट
	मनापन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/विश्व।	विश्वविद्यालय परिशिष्ट
,•	विद्यालय से एंव हाईस्कूल से कम	जि0वि0नि0 परिशिष्ट
1	<u> </u>	1
	से सत्यापन कराकर सत्यापन आख्या	
	(कार्यालयप्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित)	
27	मृतक आश्रित का चरित्र सत्यापन स्थाई व अस्थाई पते पर तथा	स्थाई पत पर
	स्थाई व अस्थाई पते पर तथा	परिशष्ट
	अभिसचना मुख्यालय द्वारा कराया गया	अस्थाइ पत पर
	चरित्र सत्यापन आख्या मूलरूप मे	पाराशष्ट
	संलग्न की जायेगी।	आभ0मुख्यालय
		परिशिष्ट
28	मृतक आश्रित के पक्ष दो राजपत्रित	1-राजपत्रितअधिकारीनाम
	अधिकारियो द्वारा प्रदत्त चरित्र	परिशष्ट
	प्रमाण-पत्र जो छ: से पुराना न हो	1-राजपत्रितअधिकारीनाम
	मृतक आश्रित की वैवाहिक स्थिति यदि	पाराशिष्ट
29	मृतक आश्रित की वैवाहिक स्थिति याद	नामआयु
ĺ	विवाहित है तो जीवित पत्नी का	
	नाम/ आयु व शैक्षिक योग्यता	
30	मतक आश्रित से निम्न स्थिति म	
	त्त्सम्बन्धी विवरण सहित इस आशय	पाराशब्ट
	घोषणा पत्र प्राप्त कर संलग्न किया	
	जाय कि	
ĺ	1-यदि वर्तमान समय में मृतक आश्रित कही सेवारत है ?	
i	कही सेवारत हैं ?	
	2-यदि पर्व में सेवारत रहा हो?	
	3-यदि सेवा त्यागपत्र दे दिया तो?	
	4-यदि सेवा से पृथक कर दिया गया	
	हो तो	
31	यदि मृतक आश्रित आरिक्षत वर्ग का है	1-प्रमाण-पत्र निगत करन
	तो जाति प्रमाण-पत्र पत्र (जो	वाल राजपात्रत आधकारा
	जिलाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित	नाम
	होगा)	परिशिष्ट
ļ	मृतक आश्रित का नवीनत्म फोटोग्राफ	
20	ा मृतक आश्रित का भवाभाव माटाग्राम	1
32	के क ने गाला न के नाम कर	च्याणित फोटोग्राफ
	ोजो छ: से पुराना न ही चस्पा कर	प्रमाणित फोटोग्राफ
	जो छः से पुराना न हो चस्पा कर कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किया जाय	प्रमाणित फोटोग्राफ
	जो छः से पुराना न हा चस्पा कर कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किया जाय	प्रमाणित फोटाग्राफ
33	जो छ: से पुराना न हा चस्पा कर कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किया जाय मतक आश्रित का शारीरिक नाप जोख	प्रमाणित फाटाग्राफ
	जो छ: से पुराना न हा चस्पा कर कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किया जाय मतक आश्रित का शारीरिक नाप जोख	प्रमाणित फाटाग्राफ
	जो छः से पुराना न हा चस्पा कर कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किया जाय मृतक आश्रित का शारीरिक नाप जोख छ:माह से पुराना न हो फोटोग्राफ चस्पा कर प्रमाणित करें (प्रतिसार	प्रमाणित फाटाग्राफ उँचाई सीना सीना फुलाने विना पर फुलाये
	जो छः से पुराना न हो चस्पा कर कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किया जाय मृतक आश्रित का शारीरिक नाप जोख छःमाह से पुराना न हो फोटोग्राफ चस्पा कर प्रमाणित करें (प्रतिसार निरीक्षक द्वारा प्रदत्त किया गया	प्रमाणित फाटाग्राफ ऊँचाई सीना सीना फुलाने विना पर फुलाये
	जो छः से पुराना न हा चस्पा कर कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किया जाय मृतक आश्रित का शारीरिक नाप जोख छःमाह से पुराना न हो फोटोग्राफ चस्पा कर प्रमाणित करें (प्रतिसार निरीक्षक द्वारा प्रदत्त किया गया प्रमाण-पत्र)(कार्यालयप्रमुख द्वारा	प्रमाणित फाटाग्राफ ऊँचाई सीना सीना फुलाने विना पर फुलाये
33	जो छः से पुराना न हा चस्पा कर कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किया जाय मृतक आश्रित का शारीरिक नाप जोख छःमाह से पुराना न हो फोटोग्राफ चस्पा कर प्रमाणित करें (प्रतिसार निरीक्षक द्वारा प्रदत्त किया गया प्रमाण-पत्र)(कार्यालयप्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित)	प्रमाणित फाटाग्राफ ऊँचाई सीना सीना फुलाने विना पर फुलाये
	जो छः से पुराना न हा चस्पा कर कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किया जाय मृतक आश्रित का शारीरिक नाप जोख छःमाह से पुराना न हो फोटोग्राफ चस्पा कर प्रमाणित करें (प्रतिसार निरीक्षक द्वारा प्रदत्त किया गया प्रमाण-पत्र)(कार्यालयप्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित)	प्रमाणित फाटाग्राफ ऊँचाई सीना सीना फुलाने विना पर फुलाये
33	जो छः से पुराना न हा चस्पा कर कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किया जाय मृतक आश्रित का शारीरिक नाप जोख छःमाह से पुराना न हो फोटोग्राफ चस्पा कर प्रमाणित करें (प्रतिसार निरीक्षक द्वारा प्रदत्त किया गया प्रमाण-पत्र)(कार्यालयप्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित)	प्रमाणित फाटाग्राफ ऊँचाई सीना सीना फुलाने विना पर फुलाये
33	जो छः से पुराना न हा चस्पा कर कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किया जाय मृतक आश्रित का शारीरिक नाप जोख छःमाह से पुराना न हो फोटोग्राफ चस्पा कर प्रमाणित करें (प्रतिसार निरीक्षक द्वारा प्रदत्त किया गया प्रमाण-पत्र)(कार्यालयप्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित) मृतक आश्रित का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र छ:माह से पुराना न हो फोटोग्राफ चस्पा कर प्रमाणित करें (मुख्य	प्रमाणित फाटाग्राफ उँचाई सीना सीना फुलाने विना पर फुलाये उँचाई सीना सीना फुलाने विना पर फुलाये
33	जो छः से पुराना न हा चस्पा कर कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किया जाय मृतक आश्रित का शारीरिक नाप जोख छःमाह से पुराना न हो फोटोग्राफ चस्पा कर प्रमाणित करें (प्रतिसार निरीक्षक द्वारा प्रदत्त किया गया प्रमाण-पत्र)(कार्यालयप्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित) मृतक आश्रित का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र छःमाह से पुराना न हो फोटोग्राफ चस्पा कर प्रमाणित करें (मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त किया गया	प्रमाणित फाटाग्राफ उँचाई सीना सीना पुलाने विना पर फुलाये उँचाई सीना सीना पुलाने विना पुलाये
33	जो छः से पुराना न हा चस्पा कर कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किया जाय मृतक आश्रित का शारीरिक नाप जोख छःमाह से पुराना न हो फोटोग्राफ चस्पा कर प्रमाणित करें (प्रतिसार निरीक्षक द्वारा प्रदत्त किया गया प्रमाण-पत्र) (कार्यालयप्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित) मृतक आश्रित का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र छःमाह से पुराना न हो फोटोग्राफ चस्पा कर प्रमाणित करें (मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त किया गया प्रमाण-पत्र) (कार्यालयप्रमुख द्वारा प्रदत्त किया गया प्रमाण-पत्र) (कार्यालयप्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित)	प्रमाणित फाटाग्राफ उँचाई सीना सीना फुलाने विना पर फुलाये उँचाई सीना सीना फुलाने विना पर फुलाये
33	जो छः से पुराना न हा चस्पा कर कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किया जाय मृतक आश्रित का शारीरिक नाप जोख छःमाह से पुराना न हो फोटोग्राफ चस्पा कर प्रमाणित करें (प्रतिसार निरीक्षक द्वारा प्रदत्त किया गया प्रमाण-पत्र) (कार्यालयप्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित) मृतक आश्रित का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र छःमाह से पुराना न हो फोटोग्राफ चस्पा कर प्रमाणित करें (मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त किया गया प्रमाण-पत्र) (कार्यालयप्रमुख द्वारा प्रदत्त किया गया प्रमाण-पत्र) (कार्यालयप्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित)	प्रमाणित फाटाग्राफ उँचाई सीना सीना फुलाने विना पर फुलाये उँचाई सीना सीना फुलाने विना पर फुलाये
33	जो छः से पुराना न हा चस्पा कर कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किया जाय मृतक आश्रित का शारीरिक नाप जोख छःमाह से पुराना न हो फोटोग्राफ चस्पा कर प्रमाणित करें (प्रतिसार निरीक्षक द्वारा प्रदत्त किया गया प्रमाण-पत्र) (कार्यालयप्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित) मृतक आश्रित का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र छःमाह से पुराना न हो फोटोग्राफ चस्पा कर प्रमाणित करें (मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त किया गया प्रमाण-पत्र) (कार्यालयप्रमुख द्वारा प्रदत्त किया गया प्रमाण-पत्र) (कार्यालयप्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित)	प्रमाणित फाटाग्राफ उँचाई सीना सीना फुलाने विना पर फुलाये उँचाई सीना सीना फुलाने विना पर फुलाये
33	जो छः से पुराना न हा चस्पा कर कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किया जाय मृतक आश्रित का शारीरिक नाप जोख छःमाह से पुराना न हो फोटोग्राफ चस्पा कर प्रमाणित करें (प्रतिसार निरीक्षक द्वारा प्रदत्त किया गया प्रमाण-पत्र) (कार्यालयप्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित) मृतक आश्रित का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र छःमाह से पुराना न हो फोटोग्राफ चस्पा कर प्रमाणित करें (मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त किया गया प्रमाण-पत्र) (कार्यालयप्रमुख द्वारा प्रदत्त किया गया प्रमाण-पत्र) (कार्यालयप्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित)	प्रमाणित फाटाग्राफ उँचाई सीना सीना फुलाने विना पर फुलाये उँचाई सीना सीना फुलाने विना पर फुलाये
33	जो छः से पुराना न हा चस्पा कर कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किया जाय मृतक आश्रित का शारीरिक नाप जोख छः माह से पुराना न हो फोटोग्राफ चस्पा कर प्रमाणित करें (प्रतिसार निरीक्षक द्वारा प्रदत्त किया गया प्रमाण-पत्र) (कार्यालयप्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित) मृतक आश्रित का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र छः माह से पुराना न हो फोटोग्राफ चस्पा कर प्रमाणित करें (मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त किया गया प्रमाण-पत्र) (कार्यालयप्रमुख द्वारा प्रमाण-पत्र) (कार्यालयप्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित) इस आशय का प्रमाण-पत्र की पुलिस कार्यालय द्वारा मृतक आश्रित के सेवायोजन का विवरण स्थाई रूप से	प्रमाणित फाटाग्राफ उँचाई सीना सीना पुलाने विना पर फुलाये उँचाई सीना सीना पुलाने विना पुलाये स्थाई जिस्टर का पुष्ठ संख्या—— कम संख्या——
33	जो छः से पुराना न हा चस्पा कर कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किया जाय मृतक आश्रित का शारीरिक नाप जोख छः माह से पुराना न हो फोटोग्राफ चस्पा कर प्रमाणित करें (प्रतिसार निरीक्षक द्वारा प्रदत्त किया गया प्रमाण-पत्र) (कार्यालयप्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित) मृतक आश्रित का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र छः माह से पुराना न हो फोटोग्राफ चस्पा कर प्रमाणित करें (मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त किया गया प्रमाण-पत्र) (कार्यालयप्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित) इस आशय का प्रमाण-पत्र की पुलिस कार्यालय द्वारा मृतक आश्रित के सेवायोजन का विवरण स्थाई रूप से रखे गये "मृतक आश्रित सेवायोजन	प्रमाणित फाटाग्राफ उँचाई सीना सीना पुलाने विना पर पुलाये उँचाई सीना सीना पुलाने विना पर पुलाये स्थाई जिस्टर का पृष्ठ संख्या—— कम संख्या—— प्रमाण-पत्र
33	जो छः से पुराना न हा चस्पा कर कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किया जाय मृतक आश्रित का शारीरिक नाप जोख छःमाह से पुराना न हो फोटोग्राफ चस्पा कर प्रमाणित करें (प्रतिसार निरीक्षक द्वारा प्रदत्त किया गया प्रमाण-पत्र) (कार्यालयप्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित) मृतक आश्रित का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र छःमाह से पुराना न हो फोटोग्राफ चस्पा कर प्रमाणित करें (मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त किया गया प्रमाण-पत्र) (कार्यालयप्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित) इस आशय का प्रमाण-पत्र की पुलिस कार्यालय द्वारा मृतक आश्रित के सेवायोजन का विवरण स्थाई रूप से रखे गये "मृतक आश्रित के तवायोजन रजिस्टर" में अिकत कर दिया गया	प्रमाणित फाटाग्राफ उँचाई सीना सीना पुलाने विना पर पुलाये उँचाई सीना सीना पुलाने विना पर पुलाये स्थाई जिस्टर का पृष्ठ संख्या—— कम संख्या—— प्रमाण-पत्र
33	जो छः से पुराना न हा चस्पा कर कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किया जाय मृतक आश्रित का शारीरिक नाप जोख छः माह से पुराना न हो फोटोग्राफ चस्पा कर प्रमाणित करें (प्रतिसार निरीक्षक द्वारा प्रदत्त किया गया प्रमाण-पत्र) (कार्यालयप्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित) मृतक आश्रित का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र छः माह से पुराना न हो फोटोग्राफ चस्पा कर प्रमाणित करें (मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त किया गया प्रमाण-पत्र) (कार्यालयप्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित) इस आशय का प्रमाण-पत्र की पुलिस कार्यालय द्वारा मृतक आश्रित के सेवायोजन का विवरण स्थाई रूप से रखे गये "मृतक आश्रित सेवायोजन	प्रमाणित फाटाग्राफ उँचाई सीना सीना पुलाने विना पर पुलाये उँचाई सीना सीना पुलाने विना पर पुलाये स्थाई जिस्टर का पृष्ठ संख्या—— कम संख्या—— प्रमाण-पत्र
33	जो छः से पुराना न हा चस्पा कर कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किया जाय मृतक आश्रित का शारीरिक नाप जोख छःमाह से पुराना न हो फोटोग्राफ चस्पा कर प्रमाणित करें (प्रतिसार निरीक्षक द्वारा प्रदत्त किया गया प्रमाण-पत्र) (कार्यालयप्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित) मृतक आश्रित का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र छःमाह से पुराना न हो फोटोग्राफ चस्पा कर प्रमाणित करें (मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त किया गया प्रमाण-पत्र) (कार्यालयप्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित) इस आशय का प्रमाण-पत्र की पुलिस कार्यालय द्वारा मृतक आश्रित के सेवायोजन का विवरण स्थाई रूप से रखे गये "मृतक आश्रित के तवायोजन रजिस्टर" में अिकत कर दिया गया	प्रमाणित फाटाग्राफ उँचाई सीना सीना पुलाने विना पर फुलाये उँचाई सीना सीना पुलाने विना पर फुलाये स्थाई जिस्टर का पृष्ठ संख्या—— कुम संख्या—— प्रमाण-पत्र परिशिष्ट———
33	जो छः से पुराना न हा चस्पा कर कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किया जाय मृतक आश्रित का शारीरिक नाप जोख छःमाह से पुराना न हो फोटोग्राफ चस्पा कर प्रमाणित करें (प्रतिसार निरीक्षक द्वारा प्रदत्त किया गया प्रमाण-पत्र) (कार्यालयप्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित) मृतक आश्रित का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र छःमाह से पुराना न हो फोटोग्राफ चस्पा कर प्रमाणित करें (मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त किया गया प्रमाण-पत्र) (कार्यालयप्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित) इस आशय का प्रमाण-पत्र की पुलिस कार्यालय द्वारा मृतक आश्रित के सेवायोजन का विवरण स्थाई रूप से रखे गये "मृतक आश्रित के तवायोजन रजिस्टर" में अिकत कर दिया गया	प्रमाणित फाटाग्राफ उँचाई सीना सीना पुलाये उँचाई सीना सीना पुलाये उँचाई सीना सीना पुलाये स्थाई जिस्टर का पुष्ठ संख्या—— कम संख्या—— प्रमाण-पत्र परिशिष्ट——— कार्यालय प्रमुख का नाम
33	जो छः से पुराना न हा चस्पा कर कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किया जाय मृतक आश्रित का शारीरिक नाप जोख छःमाह से पुराना न हो फोटोग्राफ चस्पा कर प्रमाणित करें (प्रतिसार निरीक्षक द्वारा प्रदत्त किया गया प्रमाण-पत्र) (कार्यालयप्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित) मृतक आश्रित का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र छःमाह से पुराना न हो फोटोग्राफ चस्पा कर प्रमाणित करें (मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त किया गया प्रमाण-पत्र) (कार्यालयप्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित) इस आशय का प्रमाण-पत्र की पुलिस कार्यालय द्वारा मृतक आश्रित के सेवायोजन का विवरण स्थाई रूप से रखे गये "मृतक आश्रित के तवायोजन रजिस्टर" में अिकत कर दिया गया	प्रमाणित फाटाग्राफ उँचाई सीना सीना पुलाने विना पर फुलाये उँचाई सीना सीना पुलाने विना पर फुलाये स्थाई जिस्टर का पृष्ठ संख्या—— कुम संख्या—— प्रमाण-पत्र परिशिष्ट———

36	इस आशय का प्रमाण-पत्र की उपरोक्त	
30		
		÷
		Ł
1	्रिक पर्याप्त वर्ग वर्ग वर्ग वर्गा	
	है जो सूचनाये अकित है वे सही है	
	एंव आवेदक द्वारा माँगे जा रहे पद	
!	पर सेवायोजन की संस्तति की जाती	
	है।(अपेक्षित पद नाम का उल्लेख	
	कार्योलयाध्यक्ष द्वारा करते हुये संस्तृति	
	की जायेगी।	

कार्यालय प्रमुख का नाम पद नाम जनपद/इकाई का नाम

प्रमाण पत्र

प्रमाणित	किया जाता है कि	जनपद/इकाई <u>-</u>	
के पत्र संख्य	[दिनांक	क े
माध्यम	से	प्रेषित	स्वत
दिनांक	सेवाकाल 	जिनकी में हुई है	मृत्यु के आश्रित श्री
पद पर सेवार	गोजन सम्बन्धी प्रस	ताव पुलिस मुख्य	गलय में उपलब्ध
कराया गया	है। यह प्रस्त	नाव समस्त :	मंलानको महिन
प्रस्ताव के सा	' थ संलग्न समस्त प्र प्रस्ताव पूर्णतया	प्रपत्रो का परीक्षा सही है तथा इर	ग मेरे द्वारा कर भी जनपद∠टकार्ट
क स्व0 कमा	के वास्तविक आष्ट्रि नहीं हैं एवं मृतक	त्रत के पक्ष में	प्रस्ताव है । यह
गर्य शिक्षा एंट	। जाति सम्बन्धी प्र	ामाण-पत्रो की र	प्रत्यता की पिंडट
सम्बान्धत जिल	विद्यालय निरीक्षक ना अधिकारी के	माध्यम से कर	ाली गयी है।
इसके पूर्व इस	स्व0 कर्मी के कि दिया गया है।	न्सी अन्य आश्रित	न को सेवायोजन
	•		

हस्ताक्षर:नाम:पदनाम:कार्यालय का नाम:(राजपत्रित अधिकारी का नाम/
पदनाम की मुहर)

यह प्रमाण-पत्र आज दिनांक ----- को मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया है ।

शपथ-पत्र का प्रारूप-2

शपथी का फोटोग्राफ नोटरी द्वारा प्रमाणित

नाम	उम्र	वर्ष पुत्र/प	त्री ⁄ पत्नी	स्व0	
निवासी ग्राम	पोस्ट	9 . 3	, थाना		जनपद
का शपथ-पत्र				\ \	4
मैं		उपर्यक्त	अभिसाक्षी	शपथपर्वट	क निम्नलिखित
अभिकथन		3	-11 ((11)41)	71 1-1 Km	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
करता है:-		•			

- (1) यह कि शपथी द्वारा अपने सेवायोजन के सम्बन्ध में जो सूचना/शैक्षिक प्रमाण-पत्र तथा प्रपत्र इत्यादि दिया गया है वह सही है।
- (२) यह कि प्रापथी द्वारा सेवायोजन के सम्बन्ध में दिये गये मृतक कर्मी के सम्बन्ध मे नाम/पद/नियुक्ति का विवरण आदि सही है एवं वह मृतक का वास्तविक वारिस है।
- (3) यह कि शपथी के परिवार में स्व0 कर्मी की मृत्यु के बाद किसी भी अन्य सदस्य द्वारा कभी भी मृतक आश्रित सेवायोजन नियमावली के अन्तर्गत सेवायोजन का लाभ नहीं लिया गया है
- (4) यह कि शपथ-पत्र के प्रस्तर- 1 से 3 तक में अकित कथन सत्य है तथा शपथी द्वारा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

प्रमाण पत्र

उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवको के आश्रितो की भर्ती नियमावली-1974 के अधीन जनपद/इकाई स्व0
के आश्रितके रिक्रा मृतक आश्रित के रूप मेंके पद पर सेवायोजन हेतु शारीरिक नाप जोख विवरण निम्नवत् है:-
लम्बाई सेन्टीमीटर
सीने की नाप (पुरूष अभ्यर्थी के लिये)
सीना विना फुलाये सीना फुलाने पर
मृतक आश्रित का वजन (महिला अभ्यर्थी के लिये)
वजन किलोग्राम में
हस्ताक्षर:-
नाम :-

<u>प्रतिहस्ताक्षरित</u>

पदनाम:-

(कार्यालयाध्यक्ष का नाम/ पदनाम की मुहर)

नियुक्ति आदेश का प्रारूप (कान्सटेबिल के पद)

आदेश

स्व0 (पदनाम सिहत नाम) का दिनांक को मृत्यु के उपरान्त आश्रित पुत्र/पुत्री/पत्नी निवासी- ग्राम
पोस्ट थाना जनपद को उत्तर
प्रदेश पलिस मत्यालग टलाहाहाड क्या कि चे चे च
प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद द्वारा दिये गये के अनुमोदन आदेश संख्या:
18/ए दिनांक के अनुपालन मे उत्तर प्रदेश मृत
सर्वारा सर्वका के आश्रितों की भर्ती नियमावली- 1974 सप्रित नियमावली-1993
2006 के अधान कान्सटीबेल (रिक्ट्र) के पद पर अस्थाई रूप से जनगर रहतार
म नियुक्त प्रदान की जाती है। इन्हें नियमानसार अनुसना जिल्ह
वेतन/स्टाइपेन्ड रूपया दिया जायेगा। यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई होगी
जो कभी समाप्त की सकती है। प्रतिसार निरीक्षक उक्त मृतक आश्रित अभ्यर्थी को पूर्ण
किट पदान कर जनपह में भी उत्हार कर किर के कि
किट प्रदान कर जनपद में ही रखकर प्रारम्भिक प्रशिक्षण (जे0टी0सी0) कराना सुनिश्चित करें।
यो.।।इततः कर्।

नाम पदनाम कार्यालय का नाम नियुक्ति प्राधिकारी

कायोल	य का	नाम	
आदेश	संख्या		दिनॅाक

प्रतिलिपि प्रतिसार निरीक्षक, पुलिस लाइन ————— को हिन्दी आदेश पुस्तिका में प्रकाशित करने तथा उक्त अभ्यर्थी के भर्ती /प्रशिक्षण सम्बन्धी समस्त कार्यवाही समय से पूर्ण करने, जे0टी0सी0 कराने किट देने हेतु प्रेषित ।भर्ती से सम्बन्धित अभिलेख भली भाति अवलोकन्न करने हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है जो अवलोकनोपरान्त मूलक्प में इस कार्यालय को अभिलेख हेतु वापस प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करेंगें। संलग्नक उपरोक्तान्सार ।

प्रतिलिपि आकिंक, पुलिस कार्यालय ----- को आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रतिलिपि:- श्री/कुमारी/श्रीमती -----पुत्र/पुत्री/पत्नी स्व0---- निवासी- ग्राम ----- पोस्ट ------ थाना जनपद---- को इस आश्रय से प्रेषित है कि वे आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अपना समस्त शैक्षिक अभिलेख प्रमाण-पत्र इत्यादि एंव मेस एडवांस व जाड़े व गर्मी के वस्त्र एंव विस्तर आदि लेकर पुलिस लाइन ------ मे आगमन सुनिश्चित करें।घर से नियुक्ति स्थान तक आने का कोई यात्रा भत्ता आदि देय नही होगा।

संख्या तथा दिनांक वही

प्रतिलिपि पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या:18/ए- दिनांक ----- के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित

नियुक्ति आदेश का प्रारूप(चतुर्थ श्रेणी के पद)

आदेश

स्व0 (पदनाम सहित नाम) का दिनांक को मृत्यु के उपरान्त आश्रित पुत्र/पुत्री/पत्नी जनपद निवासी- ग्राम पोस्ट थाना जनपद को उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद द्वारा दिये गये के अनुमोदन आदेश संख्याः 18/ए दिनांक के अनुपालन मे उत्तर प्रदेश मृत सरकारी सेवको के आश्रितो की भर्ती नियमावली- 1974 सपठित नियमावली-1993, 2006 के अधीन चतुर्थ श्रेणी के पद पर वेतनमान रूपया में अस्थाई रूप से जनपद/इकाई कार्यालय का नाम नियुक्त किया जाता है। यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई होगी जो कभी समाप्त की सकती है ।
नाम पदनाम कार्यालय का नाम नियुक्ति प्राधिकारी
कार्यालय का नाम दिनाक अादेश संख्या दिनाक
प्रतिलिपि प्रतिसार निरीक्षक, पुलिस लाइन को हिन्दी आदेश पुस्तिका में प्रकाशित करने तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
प्रतिलिपि आकिक, पुलिस कार्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। प्रतिलिपि:- श्री/कुमारी/श्रीमतीपुत्र/पुत्री/पत्नी
स्व0 निवासी- ग्राम पोस्ट थाना जनपद को इस आशाय से प्रेषित है । कवे आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अपना समस्त शैक्षिक अभिलेख प्रमाण-पत्र इत्यादि एंव मेस एडवास व जाड़े व गर्मी के वस्त्र एंव विस्तर आदि लेकर पुलिस लाइन में आगमन सुनिश्चित करें। घर से नियुक्ति स्थान तक आने का कोई

संख्या तथा दिनांक वही

प्रतिलिपि पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या:18/ए- दिनांक ----- के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित

यात्रा भत्ता आदि देय नही होगा।

वरिशिष्ट-"घ"

प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि मृत सरकारी सेवक के किसी ऑश्रित को मृतक आश्रित सेवा नियमावली-1974 के अन्तर्गत कभी भी सेवायोजित नही किया गया है।

गा मृतक स्वं।-----के आश्रित पुत्र/पुत्री/पत्नी

गो पर-----पद सेवायोजित किए जाने का प्रथम प्रकरण है। यह प्रकरण सत्य है एवं मेरे द्वारा पूर्ण परीक्षण कर लिया गया है।

दिनांक:

(नाम रर्व हस्ताखर्)

(वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक/सेनानायक/कार्यालय प्रधान के हस्ताक्षर नाम की मुहर लगाई जाय)

परिशिष्ट-"च"

<u>प्रमाण</u> पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रारूप के कालम । से 3º तक अंकित सम्पूर्ण गुगनाओं का भेरे द्वारा भली भांति परीक्षण कर लिया गया है। अंकित सूचनाएं एवं संलग्न प्रात्र पूर्णतः सत्य है एवं आवेदक भांगे गये पद की योग्यता रखता है तथा इस प्रकरण गा गार्यालय में रखे रथाई रजिस्टर के कमांक---- पर अंकन कर दिया है ।

(नाम एवं टस्तास्तर) (वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक/सेनानायक/कार्यालय प्रधान के हस्ताक्षर नाम की मुहर लगाई जाय)

American com tradition and the orange for the constant of the constant of the final state of the constant of t

300

समक्ष पुलिस उप गहानिरीक्षक (स्थापना) उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद-।

<u>आवेदक का शपथ पत्र</u>
नामवर्ष पुत्र/पुत्री श्र
निवासीका शपथ पत्र।
मैं
न स्वर्भावना पुत्र/पुत्री/अविवाहित विकास
ं उर्ज द्वारास सन्नाना पद
भाग विभाग के प्रतिस्थ किया के
उ
जनमा पद के सामित अपेक्षित ग्रेग्यता क्रांच्या के
कसा भी पद पर नियक्ति हेन
ं नर नर विरुद्ध कोई अपराधिक मुकदमा/मामला रेगी
ज कार पालस विवचना लम्बित है।
4- यह कि मैं किसी राष्ट्र विरोधी राजनैतिक पार्टी का क्ली
5- यह कि कभी मुझे अपराधिक मामले में गिरफतार नहीं किया गया है।
प्राची अपराधिक मामले में प्रतिस में जासार करे
न न प्राचित यहि क्लेर्स
ं जिला प्राची भी किलिक कि
., ,
8- यह कि आवेदन पत्र भरने के दस वर्ष पूर्व तक किसी विध्वसंक कार्य में भाग नहीं लिया।
्नहीं लिया ।
9- यह कि अपराधिक मामले जो मेरे विरुद्ध पंजीकृत हुए है या जिसमें मेरा चालान
10- यह कि यदि इस शपथ पत्र में अंकित तथ्य भविष्य में कभी भी गलत पाये जाये
तो कोर्स/सर्विस से तुरन्त पृथक कर दिया जावे तथा विधिक दण्ड दिया जाय ।
The state of the s
प्रमाणित स्था किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य
रकार के स्वाभित्वाधीन या उसके द्वारा किसी है है है है
व्युत नहीं किया गया वितिममी हूँ।

करी (11) में यह भी प्रमाणित रता हूँ कि केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के अथवा कन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निराम के अधीन पहले से सेवायोजित नहीं हूँ।

(12) मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि मेरे भिता/पित की मृत्यु के पश्चात उनके परिवार के किसी आश्रित को (जिसमें मैं भी शामिल हूँ) उत्तर प्रदेश सेवाक़ाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 के अधीन कभी भी सेवायोजित नहीं किया गया है।

अभिसाक्षी/प्रापयकर्ता ।

अभिसाक्षी/शपथकर्ता ।

णपथ कर्ता/अभिसाक्षी का निशान-अंगूठा

आज दिनांक को पूर्वान्ह/अपरान्ह में सिनिल कोर्ट जिला के प्रांगण में अभिसाक्षी द्वारा सत्यापित किया गया

अभिसाक्षी/शपयकर्ता ।

परिशिष्ट-"क"

मृतक के आश्रित के सम्मूण परिवार (आश्रित पत्ना, पुत्रिया तथा पुत्रा) द्वारा दिए जान बाले शपथ पत्र का प्रारूप ।
1 यह िक में वहलफ बयान करता हॅ कि मेरा नाम
पुत्र/पुत्री/पत्नी स्व0 निवासी
ग्रामजिलाका
निवासी हूँ ।
2- यह के में बहलफ बयान करता हूँ कि मेरे पति/पिता
श्रीपुलिस विभाग में (पद का नाम का उल्लेख करे)
पर (जनपद के नाम का उललेख करें) में थाना या कार्यालय में
कार्थरत थे जिनकी मृत्यु दिनांकःको (बीमारी/मुठभेड़ या अन्य कारण जो
भी अंकित करें) हो चुकी हैं।
3 यह कि में बहलफ बयान करता हूँ कि मेरी जन्मतिथि (हाईस्कूल के सनद के
अनुसार) है । समस्त श्रात से प्राप्त की गयी मेरी मासिक आयहै ।
तथा वार्षिक आयहैं । मेरी शादी वर्ष मे हुई मेरी पत्नी/पति का
नाम है ।
4- यह कि मैं बहलफ पर बयान करता हूँ कि मेरे स्व0 पति/पत्नी पिता के स्थान
पर मृतक आश्रित निर्यमावली-1974 के अन्तर्गत मेरे पुत्र/पुत्री/बहन/भाई
नाम पुलिस विभाग में पद पर सेवायोजित किया जाता है तो
मुझे कोई एतराज नहीं है ।
5- यह कि वहलफ वयान करता हूँ कि मृतक आश्रित नाम
स्व0 के वारिस है ।
6- यह कि बहलफ बयान करता हूँ कि मृतक स्व0 के स्थान पर
अभी तक किसी को नीकरी नहीं दी गयी है।
7- सह कि मैं बहलफ बयान करता हूँ कि उपरोक्त कथन सत्य है यदि असत्य पाया
गया तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी तथा मेरे विरूद्ध जो भी कार्यवाही की
जायेगी मुझे मान्य होगी ।
8- यह कि उपरोक्त बयान हलफी की धारा-1 से 7 तक मेरे निजी ज्ञान से सब
रात्य हे कुछ असत्य नहीं है एवं कोई महत्वूपर्ण तथ्य छिपाया नहीं गया है । ईश्वर
मेरी मदद करें।

परिशिष्ट-"ख"

<u> भूतक आश्रित के रूप में रोवायोजित कराये जाने हेतु परिवार का भपथ पत्र ।</u>
। मैं रापायनी श्रीमती पत्नी स्व० स्व० ग्राम
गोग्ट थाना तहसील जनपद
की निवासिनी हूँ और भपथपूर्व निम्न कथन करती हूँ:-
2 यह कि शपथनी जनम से भारतीय नागरिक है। -
अ- यह कि शपथनी एवं शपथनी के परिवार के निम्न सभी सदस्य(सबका नाम) मेरे
पुत्र/पुत्री कीर्म को पुलिस विभाग के पद पर सेवायोजित कराना चाहते
है ।
।- यह कि प्रापथनी के परिवार के किसी भी सदस्य को मृतक आश्रित के रूप में
सेवायोजन का लाभ पूर्व में या कभी प्रदान नहीं किया गया है।
5- यह कि प्रापथनी के परिवार के किसी भी सदस्य श्री को मृतक
आश्रित के रूप में सेवायेजित कराये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है । इनकी शैक्षिक
7)

6- यह ित में भपथनी एवं परिवार के समस्त सदस्य जिनके हस्ताक्षर क्रम से भपथ पत्र पर अंकित है, द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि भपथ पत्र की धारा-1 से 5 तक मेरे निजी ज्ञान एवं अधिकार से सत्य है । ईश्वर मेरी मदद करें ।

शपयनी-एवं परिवार के सदस्यों के हस्ताक्षर ।

परिशिष्ट-"क"

9. l 469	1. 1. 2.48	આઇ ૧ પ્ય	ध्यतः । । स्वतः	के सम्पूर्ण धारहण ।	्रमें स्वर	(अस्थिः	- {	ાર્ટ્સ,	ુત્રિય <u>ાં</u>	तथा	વુચેંi)	क्षारा	दिए	ગાને
ı	48	 कि	भे	वंहलफ	दयान	करता	ž	 कि	· भेरा	 नामः			,	

पुत्ररपुत्रीरपत्नी : स्व0-----भिवासी हूँ ।

2- यह के मै वहलफ वयान करता हूँ कि मेरे पति/पिता हीपुलिस विभाग में (पद का नाम का उल्लेख करे) कार्यरत थे जिनकी मृत्यु दिसांक -----को (बीमारी/मुटभेड़ या अन्य कारण जो भी अंकित करें) है। चुकी है ।

3- यह कि में बहलफ बयान करता हूँ कि मेरी जन्मतिथि (हाईस्फूल के समद कें. अनुसार) है । समस्त क्षात से प्राप्त की गर्या मेरी मासिक आय------है । तथा वार्षिक आय-----हैं । मेरी शादी वर्ष----- में हुई मेरी पत्नी/पति का नाम -----है।

4- या कि में बहलफ पर वयान करता हूँ कि मेरे स्व0 पति/पत्नी पिता के स्थान पुर मृतक आश्रित नियंगावली-1974 के अन्तर्गत भेरे पुत्र/पुत्री/बसन/भाई भागत वर्षात विभाग में पद----- पर सेवायोजित किया जाता है तो

धुझे भीई एतराज नहीं है। S- यह कि बहलफ बयान करता हूँ कि मृतक आश्रित नाम-----------रव0-----के वारिस है।

ं- यह कि बहलफ बयान करता हूँ कि मृतक स्व0-----अभी तक किसी की नीकरी नहीं दी गयी है।

7- सड़ कि मै बहलफ बयान करता हूँ कि उपरोक्त कथन सत्य है यदि असत्य पाया गया तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी तथा मेरे विसन्द जो भी फार्यवाही की अधिगी मुझे मान्य होगी।

६ यह कि उपरोबत बयान हलफी की धारा-1 से 7 तक मेरे निजी ज्ञान से सब रात्य हि सुछ असत्य नहीं है एवं कोई महत्वूपर्ण तथ्य **छिपाया नहीं गया है । ईश्यर** निरी भदद करें।

The state of the s	7
परिणिष्ट-"ल" परिणिष्ट-"ल" भे समाम में सेमामेजित कराये जाने हेतु परिनार का एपण	11.25
भीरहार स्व0 स्वापन	·
भीरह स्व0 साम- ने शिवासिती हूं और शहरामा	
र्वे विस्ति करन करनी हैं।	
वा कि क्षा क्षा के भारतीय नागरिक है .	
नर कि अपूर्व भाषानी के परिवार के विकास	
प्ति पुत्री नोर्ग को पुलिस विभाग के पद पर सेवायोजित कराना	गम) मे
है।	चाहते
तः यह कि श्रापथनी के परिवाद के किसी भी सबस्य की मृतक आश्रित के कप	
वेलावोजन पन ताभ पूर्व में या कभी प्रदान नहीं किया गया है ।	। हे

शेवाबोजन पन वाभ पूर्व में या कभी प्रदान नहीं किया गया है ।

5- यह कि भाषधनी के परिवार के किसी भी सदस्य श्री---- की मृतका आधित के रूप में सेवायेजित कराये जाने पर कोई आपिता नहीं है । इनकी छोशिक योग्यता---- है ।

6- यह कि में शपभनी एवं परिवार के समस्त सदस्य जिनके हस्ताक्षर क्रम से शपथ पत्र पर अंकित है, हारा प्रमाणित किया जाता है कि शपथ पत्र की धारा-। से 5 तक मेरे निजी ज्ञान एवं अधिकार से सत्य है । ईपवर मेरी मदद करें ।

आवेदक का शपथ पत्र

पुन/पुन्नी क्ष

----अपर्यवत अभिसाशी शपथपूर्वक निम्नलिखित वयान करनता हूँ:-

यह कि में स्वठ----का पुत्र/पुत्री/पत्नी/अविवाहित/ विधवा पुत्री हूं ।

प्रत्यु ये पूर्व छंठप्रठ पुलिस वि----- पर्द -----स्थान पर कार्यस्त थे । 2 यह कि मै उत्तर प्रदेश सरकार के पुलिस विभाग में ------------------------------पद पर

नियुक्ति हेतु जिला ------से एक मृतक आश्रित अभ्यर्थी हूँ । इस पद

हेसु यदि भुद्रे। अर्ह अथवा पद के सापेक्ष अपेक्षित योग्यता/कुशलता के न्यूनतम स्तर के

अनुकृत नहीं पाया जाता तो में अन्य किसी भी पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हूँ ।

3- यह कि मेरे विरुद्ध कोई अपराधिक मुकदमा/मामला मेरी जानकारी में कभी पंजीकृत

नहीं हुआ है और न हैं। कोई पुलिस विवेचना लम्बित है ।

ा यह कि में किसी राष्ट् विरोधी राजनैतिक पार्टी का कभी सदस्य नहीं एहा हूँ और नहीं

5- यह कि कभी मुझे अपराधिक मामले में गिरफतार नहीं किया गया है।

6- यह कि मेरा कभी अपराधिक मामले में पुलिस में चालान नहीं किया गया है।
7- यह कि आवेदन पन्न में उल्लेखित यदि कोई वात किसी भी समय असत्य पायी जाय अतः किसी मत्य को छिपाया गया हो तो मेरी नियुक्ति निरस्त कर दिया जाय तथा

8- यह कि आवेदन पत्र भरने के दस वर्ष पूर्व तक किसी विध्यसंक कार्य में माग

9- वह कि आपराधिक नामले जो मेरे विरुद्ध पंजीकृत हुए है या जिसमें मेरा चालान किया गया था जो मेरे विरूद्ध विचाराधीन न्यायालय अथवा विवेचनाधीन पुलिस 8 उना विवरण निम्नवत है:-

10- यह कि यदि इस शपथ पत्र में अंकित तथ्य भविष्य में कभी भी गंलत पाये जाये तो कोर्स/सर्विस से तुरन्त पृथक कर दिया जावे तथा विधिक दण्ड दिया जाय ।

में यह भी विमाणित । स्तार्र हैं कि केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के अथवा महीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके हारा निर्यातत किसी निरम के अधीन पहले से तेवायोजित नहीं

ीं यह भी प्रमाणित करता हूं कि मेरे पिता/पति की मृत्यु के पश्चात उनके परिवार के किसी आश्चित की (जिसमें में भी पानिल हूँ) अत्तरं प्रदेश रोवाकाल में मृत रारकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 के अधीन कभी भी सेवायोजित नहीं किया गया है।

अभिसाक्षी/शपथकर्ता ।

.... उपयुक्त अभिसाक्षी, शपथपूर्वक सत्यापित रार्ती/ न राम हूँ कि इस भाषध पन्न के प्रस्तर में उल्लिखित तथ्य मेरी ्वित्यात जानवारी तथा विण्वास में सत्य हैं, इस प्रापथ पत्र के प्रस्तर....... । उल्लिक्सित तथ्य अभिलेखों पर आधारित है, इस पापथ पश्र के प्रस्तर.... में उहिलासित तथ्य सूचनाओं पर आधारित है, इस प्रापथ पन्न में किलिसित प्रस्तर तथा विधि सलाह पर आधारित है और जिन्हें में विश्वास बररती/ करता हूँ कि वह भी सत्य है, इसकाकोई भी अंग असत्य अथवा शूठा गर्ही है ला कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य किपाया नहीं गया है । अस्तु ईश्वर मेरी रक्षा

अभिसाक्षी/शपथकर्ता ।

णपथ कर्ता/अभिसाक्षी का निणान-अंगूठा

करे

आज दिलांक कोबणे पूर्वन्छ/अपरान्छ भें िसिविल कोर्ट जिला के प्रांगण में अभिसाक्षी द्वारा सत्यापित किया गया

अभिसाक्षी/पापधकर्ता ।

परिणिष्ट - " स "

ें यह कि अपूर्वा एवं अपवानी के परिवार के निम्न सभी सदस्य(सबका नान) नेरे •
एवं/पुत्री बीर्य ---- पर सेवायोजित कराना पाहते

1 8

ा यह कि श्रापथणी के परिवार के किसी भी संदस्य को मृतक आश्रित के कप में केनावीजण का लाभ पूर्व में या कभी प्रदान नहीं किया गया है ।


्राधित के रूप में तेवायेजित कराये जाने पर कोई आपित नहीं है । इनकी धीरिक योग्यता----- है ।

6- यह कि में शपभनी एवं परिवार के समस्त सदस्य जिनके हस्ताक्षर क्रम से शपधे पत्र पर अंकित है, द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि शपभ पत्र की धारा-। से 5 तक मेरे निजी ज्ञान एवं अधिकार से सत्य है । ईश्वर मेरी मदद करें ।

पर्व परिवार के तदस्या के हस्ताकर ।


प्रीश्रिष्ट-"क"

्रवरपृधीरपत्नी -	वयान करता है कि भेरा नाम
	स्थ0
ः स्तर्भः विकास स्वारम्	ावासा अरुप्याधनाभा
and the first of the	
्रे यह के में	-हिलफ दयान करता हूँ कि मेरे पति∕पिता
Alexandra en	पतियात है कि नर पतियात। प्राप्त विभाग में (पद का नाम का उल्लेख करें)
ार (अभवह के मामु का उ	नलेख करें) में धाना
कारित के जिनकी मुंख कि	।कःको (बीनारी/नुष्टभेड् या अन्य कारण जी
भा आंकत को) के मुद्दा ।	ा (नामस्यतिवस्य सा अस्य कारण जी
MHAIR) R . market Some	ान करता हूँ कि नेरी जन्मतिधि (छाईस्कूल के सनद के
अस्य स्थापित - स्थाप्त द्वाल	से प्राप्त की गर्या मेरी मासिक आयहै ।
ा । जानक आद	ं। मेरी शादी वर्ष में हुई मेरी पत्नी/पति का
B 1	
यः यह कि मैं बहलफ पर	्रवयान करता हूँ कि मेरे स्वo पति/पत्नी पिता के स्थान
े राज आश्रत निव	भावती-1974 के अन्तर्गत के प्रचार का
ामः पुलिस विभाग	में पद पर सेवायोगित किया जाता है ती
हुझे बोई एतराज नहीं है ।	रामागर क्या जाता ह ता
	स्ति हे स्थान
S- यह कि बहलफ ब यान क	हरता हूँ कि मृतक आश्रित नाम
S- यह कि बहलफ बयान व २००	वारित है।
े- यह कि बहलफ बयान क स्व0	्रता हूँ कि मृतक स्व0
े यह कि बहलफ बयान व स्व0 े यह कि बहलफ बयान क ाभी तक किसी की मीकरी न	यारिस है। रता हूँ कि मृतक स्व0 के स्थान पर ही दी गयी है।
S- यह कि बहलफ बयान व रव0 ं- यह कि बहलफ बयान क जभी तक किसी की मीकरी म रह कि में बहलफ बयान	वारित है। रता हूँ कि मृतक स्व0 के स्थान पर ही दी गयी है। करता हूँ कि उपरोक्त कथन सन्त है स्कि
े- यह कि बहलफ बयान व स्व0	वारित है। रता हूँ कि मृतक स्व0 के स्थान पर ही दी गयी है। करता हूँ कि उपरोक्त कथन सन्त है स्कि
े- यह कि बहलफ बयान व स्व0 ं- यह कि बहलफ बयान क गर्भी तक किसी की मीकरी न स्वा कि में बहलफ बयान या तो उसकी पूर्ण जिन्मेदार विभी मुझे मान्य होगी।	वारिस है। रता हूँ कि मृतक स्व0
े यह कि बहलफ बयान व स्व0 के बहलफ बयान के ं यह कि बहलफ बयान के तक किसी की मीकरी म स्वा कि में बहलफ बयान या तो उसकी पूर्ण जिम्मेदार विभी मुझे मान्य होगी। यह कि उपरोक्त बयान ह	वारिस है। एता हूँ कि मृतक स्व0
5- यह कि बहलफ बयान व २५० के कि बहलफ बयान के जनी तक किसी की मीकरी म २६३ कि में बहलफ बयान या हो उसकी पूर्ण जिम्मेदार विभी मुझे मान्य होगी। यह कि उपरोक्त बयान ह	वारित है। रता हूँ कि मृतक स्व0 के स्थान पर ही दी गयी है। करता हूँ कि उपरोक्त कथन सन्त है स्कि



परिशिष्ट-"क'

দূনক के आश्रित के सम्पूर्ण परिवार (आश्रित पत्नी, पुत्रियां तथा पुत्रों) হা বাল शपथ पत्र का प्रारूप ।	रा विए जाने
। यह कि में बहलफ बयान करता हूँ कि मेरा नाम	
पुअरपुत्रीरपत्नी स्व0	निवासी
ग्रामज़िलाज़िला	
निवासी हूँ ।	
2- यह के मैं बहलफ बयान करता हूँ कि मेरे	ਧਰਿ∠ਚਿਲ
र्थापुलिस विभाग में (पद का नाम का	
पर (जनपद के नाम का उललेख करें) में धाना या कार्यालय- -	
कार्थरत धे जिनकी मृत्यु दिनांक:को (बीमारी/मुटभेड़ या अन्य	
भी अंकित करें) हो चुकी है ।	्रकारण जा
3- यह कि में बहलफ बयान करता हूं कि मेरी जन्मतिथि (हाईस्कूल व	
अनुसार) है । समस्त श्रांत से प्राप्त की गयी मेरी मासिक आय	
तथा वार्षिक आयहै । मेरी शादी वर्ष मे हुई मेरी प	त्नी/्पति का
नाम है ।	
4- यह कि में बहलफ पर बयान करता, हूँ कि मेरे स्व0 पति/पत्नी पिर	
पर मृतक आश्रित निर्यमावली-1974 के अन्तर्गत मेरे पुत्र/पु र	
नाम पुलिस विभाग भें पद पर सेवायोजित किया र	गाता है तो
मुझे कोई एतराज नहीं है।	
5- यह कि बहलफ वयान करता हूँ कि मृतक आश्रित नाम	
रव0	
6- यह कि बहलफ बयान करता हूँ कि मृतक स्व0 के	
अभी तक किसी को नौकरी नहीं दी गयी है।	14.
7- सह कि मैं बहलफ बयान करता हूँ कि टारेक्त कथन सत्य है यदि उ	Tital Preser
गया तो उसकी पूर्ण जिल्हादारी मेरी होती हुन मेरे विरुद्ध जो भी का	गताप पापा कांक्स =
जायेगी मुझे मान्य होगी ।	नवाका का
8- यह कि उपरोक्त बयान हलफी की धारा-1 से 7 तक मेर निजी ज्ञान	
सत्य है कार असला जही है तहां होर्ग क्या व	ास सब
सत्य है कुछ असत्य नहीं है एवं कोई महत्वूपर्ण तथ्य छिपाया नहीं गया है मेरी मदद करें।	। ईश्वर
কৰে সাৰৰ পুৰুষ । বিষয়ে সাৰৰ পুৰুষ ।	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·



	•	-1-11	21/63	200/	51.71	51195	
م مسم	•		1500		y yal	51145	S 7 " " "
	• •			,			
गुत्क आ	श्रित के	रूप में रोव	परिहि 1योजित क	<u>शेष्ट-"स"</u>	·		• .
1 \$	राषक ्त्रती	श्रीमती		अप जान	<u> </u>	र का शप	य पत्र ।
		त्रामता	- पत्नी		स्व0	ग्रा	ਸ

-- थाना---- तहसील---- जनपद----की निवासिनी हूँ और शपधपूर्व निम्न कथन करती हूँ:-

- यह कि शपथनी जनम से भारतीय ना रिक है।
- 3-- यह कि प्रापथनी एवं प्रापथनी के परिवार के निम्न सभी सदस्य (सबका नाम) मेरे पुत्र/पुत्री नीम्--- को पुलिस विभाग के पद---- पर सेवायोजित कराना चाहते
- ue कि श्रापथनी के परिवार के किसी भी सबस्य की मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन का लाभ पूर्व में या कभी प्रदान नहीं किया गया है।
- यह कि शपथनी के परिवार के किसी भी सदस्य भी---- को नृतक आश्रित के रूप में सेवायेजित कराये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है । इनकी शिक्षक योग्यता---- है।
- यह कि मैं शपथनी एवं परिवार के समस्त सदस्य जिनके हस्ताक्षर क्रम से शपथ पत्र पर अंकित है, द्वारा प्रमाणित किया ,जाता है कि शपथ पत्र की धारा-। से 5 तक मेरे निजी ज्ञान एवं अधिकार से सत्य है। ईश्वर मेरी मदद करें।

एवं परिवार के सदस्यों के हस्ताकर ।

परिशिष्ट-"क"

न्यांक के आदित के सन्दूर्ण परिवार (आदित पत्ना, पुत्रिया तथा पुत्रा) द्वारा विषे जान बाले शपथ पत्र का प्रारूप ।
1 यह कि में वहलफ वयान करता हूँ कि मेरा नाम
पुत्र/पुत्री/पत्नी स्व0 निवासी
ग्रामजिला
निवासी हूं ।
2- यह के मैं बहलफ वयान करता हूँ कि मेरे पति∕पिता
थीपुलिस विभाग में (पद का नाम का उल्लेख करे)
पर (जनपद के नाम का उललेख करें) में थाना
कार्यरत थे जिनकी मृत्यु दिनांकःको (बीमारी/मुटभेड़ या अन्य कारण जो
भी अकित करें) हो चुकी है।
3- यह कि में बहलफ बयान करता हूँ कि मेरी जन्मतिथि (हाईस्कूल के सनद के
अनुसार) है । समस्त श्रात से प्राप्त की गयी मेरी मासिक आयहै ।
तथा वार्षिक आयहैं । मेरी शादी वर्ष में हुई मेरी पत्नी∕पति का
नाम है । ं
4- यह कि में बहलफ पर बयान करता हूँ कि मेरे स्व0 पति/पत्नी पिता के स्थान
पर मृतक आश्रित निर्यमावली-1974 के अन्तर्गत मेरे पुत्र/पुत्री/बहन/भाई
नाम पुलिस विभाग में पद पर सेवायोजित किया जाता है तो
मुझे कोई एतराज नहीं है।
5- यह कि बहलफ वयान करता हूँ कि मृतक आश्रित नाम
स्व0 के वारिस है ।
6- यह कि बहलफ बयान करता हूँ कि मृतक स्व0 के स्थान पर
अभी तक किसी को नीकरी नहीं दी गयी है।
7- सह कि मैं बहलफ बयान करता हूँ कि उपरोक्त कथन सत्य है यदि असत्य पाया
ाया तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी तथा मेरे विरुद्ध जो भी कार्यवाही की
गयेगी मुझे मान्य होगी ।
- यह कि उपरोक्त बयान हलफी की धारा-1 से 7 तक मेरे निजी ज्ञान से सब
त्य है कुछ असत्य नहीं है एवं कोई महत्वूपर्ण तथ्य छिपाया नहीं गया है । ईश्वर
री मदद करें।

411 (5 (306) (TS(1)) 51 61131662 2144 (12) 8718 (30)

<u>परिशिष्ट-"स"</u>
कराये जाने हेल परिवार कराये जाने हेल
। मैं रापातूनी श्रीमती पत्नी स्व० ग्राम
गोग्ट थाना
गोग्ट थाना तहसील जनपद जनपद
कथन करती हैं:-
यह कि शपथनी जन्म से भारतीय नागरिक है।
ो यह कि शपथनी एवं शपथनी के परिवार के निम्न सभी सदस्य(सबका नाम) मेरे
गुत्र/पुत्री नीम को मिन ६
पुत्र पुत्री नीम् को पुलिस विभाग के पद पर सेवायोजित कराना चाहते
यह कि प्रापथनी के परिवार के किसी भी सदस्य को मृतक आश्रित के रूप ने
राज पूर्व में या कभी प्रदान नहीं किया गया है ।
5- यह कि शपथनी के परिवार के किसी भी सदस्य शी को मृतक आश्रित के रूप में मेनारिक
आश्रित के रूप में सेवायेजित कराये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है । इनकी शैक्षिक
योग्यता है ।
0- यह कि मैं प्रापाथनी एवं परिवार के समस्त सदस्य जिनके हस्ताक्षर क्रम से प्रापथ
पत्र पर अंकित है, द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि भ्रापथ पत्र की धारा-1 से 5 तक
मेरे निजी ज्ञान एवं अधिकार के
मेरे निजी ज्ञान एवं अधिकार से सत्य है । ईश्वर मेरी मदद करें ।

शपथना-एवं परिवार के सदस्यों के हस्ताक्षर ।

शपथ-पत्र का प्रारूप-2

शपथी का फोटोग्राफ नोटरी द्वारा प्रमाणित

नाम	उम वर्ष गर करी	
निवासी ग्राम	ग्रेम्नवर्ष पुत्र/पुत्री/पत्नी स्व0 पोस्ट थाना	
का शपथ-पत्र	थाना	जनपद
群	जमसाक्षी शपथ	
अभिकथन	० गुन्त आमसाका शापदा	रूर्वक निम्नेलिखित
करता है:-		
(1) यह	कि शपथी द्वारा अपने सेवायोजन के सम्बन्ध में	
	न्य रूपाव विया गया है वह सही है।	
(1) (2) यह सम्बन्ध मे नाम/प वारिस है।	िकं शापयी द्वारा सेवायोजन के सम्बन्ध में दिये व विद्∕िनयुक्ति का विवरण आदि सही है एवं वह प्	गये मृतक कर्मी के पृतक का वास्तविक
(3) यह अन्य सदस्य द्वारा व का लाभ नहीं लिया	कि घपयी के परिवार में स्व0 कर्मी की मृत्यु कभी भी मृतक आश्रित सेवायोजन नियमावली के ा गया है	के बाद किसी भी अन्तर्गत सेवायोजन
प्रापर्धः द्वारा कोई त	शपथ-पत्र के प्रस्तर- 1 से 3 तक में अकिंत व थ्य छिपाया नहीं गया है।	ज्यन सत्य है तथा
2 25 13	उपयो के हस	ताक्षर
<u> </u>	की माल विन्त	
के हा	मी भी अपमी के प्रित	
(FF)	21701 5 197	1 dem 2
COLLIN'S	5111 TOO CHI	निस्ते.
275 6	Simple of Active	
3 CAL	A STORY OF STORY	ग्यान् -
31	भाषा के व्यक्ति के श्री तिकाम सदाम है, जिसके तिवामाधान का का	ने लाक्ती
350	(रक्षाक्ष क्षिक्षकाहर)	of of Pher
-141 8	7	
Τ, ,	(53)100187 BIDOLESI	\$13°
2 .		

्रितिलिपि भारानादेश संग्या 1944/6-पु0-10-2006-1200(2)/01टीसी दिनांकः सितम्बर४,2006। जो प्रेषक श्री आर०पी०भिश्र,संयुक्त सचिव,उ०प्र०शासन, गृष्ट(पुलिस) अनुभाग-10 लखनऊ द्वारा पुलिस महानिदेशक उ०प्र०,लखनऊ, पुलिस महानिदेशक,स्थापना मुख्यालय, पुलिस महानिदेशक,उ०प्र०,लखनऊ तथा पुलिस उप महानिरीक्षक,स्थापना मुख्यालय, पुलिस महानिदेशक,उ०प्र०,लखनऊ तथा पुलिस उप महानिरीक्षक,स्थापना,उ०प्र० पुलिस मुख्यालय,इलाहाबाद को सम्बोधिल है।

विषय:-उ०प्र0 सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावर्ती:-1974 में सरावें संशोधन के कियान्वयन के संबंध में।

उपर्युवत विषयक कार्निक अनुभाग-2 के पत्र संस्था-6/12/73/का-2 /2006 दिनांक 28 जुलाई, 2006 (छाया प्रति संलग्न) के तंदर्थ में मुझे यह कहने वन निर्देश हुआ है कि कार्मिक विभाग द्वारा उपरोधः दिनांक पत्र के मध्यम से अधिश्चना निर्मत करते हुए उ०प्र० सेवाकाल में मूल सरकारी सेवकों के आशितों की भर्ती नियमावली-1974 के नियम 5(1)(तीन) में संशोधन करते हुए यह व्यवस्था की गयी है कि नियमावली के परन्तुक प्रयोजन के लिए समबद्ध व्यवित कारणों को स्पष्ट करेगा और आवेदन करने के लिये नियत समय-सीमा के अवसान के पण्चात सेवायोजन के लिये आवेदन करने के विवस्य समय-सीमा के अवसान के पण्चात सेवायोजन के लिये आवेदन करने के विलस्य के कारणों के संबंध में ऐसे तिलस्य के समर्थन आवश्यक जिलेखों/सजूत सहित लिखा में समुनित औवित्य तेगा और सरकार जिल्म्ब के निर्मो के लिए सभी तथ्यों पर विचार करते हुए समुचित निर्णय लेगी। कृपया तब्नुसार कालबाधित प्रत्येक मामलों में परीक्षणोपरांत प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने हेतु अधीनस्थों को निर्देशित करने का कष्ट करें तथा अधिनस्थों को दी गयी सूचना/निर्देशों की विर्मेश प्रति एक प्रति एक को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

<u>छ०/-</u> आर७पी०िश संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश सरकार कामिक अनुभाग-2 संख्या-6/12/73/कार्मिक-2/2006 लखनऊ:दिनांक, 28 जुलाई, 2006

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शवित का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्निटिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (सातवॉ संशोधन) नियमावली, 2006

- 1.04 पर् नियमावली उत्तर प्रदेश सेवानाल में मृत सत्कारी सेवानों के आंश्रितों की भर्ती (सातवाँ संशोधन) नियमावली, 2006 कही जायेगी।
- -- IT (1) 7.2.97
 - (2) यह तुरन्त प्रमृत्त होगी।

म-5 2- उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में नीचे स्तम्भ-1- में दिये गो विद्यमान िन्थापन नियम-5 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा,अर्थात:-

क्ट्रांब के

सदस्य नी

िक्सी

भर्ती

स्तम्भ-1 (विद्यमान नियम)

स्तम्भ-। (एतदद्वारा प्रतिस्थागित नियम)

ा के 5- यदि इस नियमावर्ताः के पारम्भ होते के 44d) (1) पश्चात विक्षा सरकारा सेवक की रोवाकाल में भर्ती मृत्यु हो जाये और मृत सरकारी सेववं का पति या पर्ता (जैसी भी रिथति នា) नोर-द्रीम संस्कार ^हनम्सी या राज्य सरवगर या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार جرع स्वामित्वाधीन उसके द्वारा नियंत्रिन किसी निगम तंत्र अधीन पहले न्ते सेवायोजित न हो तो उसके कुटुम्ब के ऐते एक सदस्य को केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या राज्य संरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो इस प्रयोजन लिये

मृतक के 5- यदि इस नियमावली के पारमा होने के (1) पश्चात विचा सरकारी रीवक की अभकाल में मृत्यु हो जाये ઓ ર मृत सरकारी सेवक का पति या पतनी (जैसी भी स्थिति हो) केन्द्रीय सरकार निस्ती या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार किसी या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो, केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार यां केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या े उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के ः अधीन पहले से सेवायोजित न हो इस प्रयोजन क्षेत लिये ।

भर्ती के किसी सामान्य नियमों को शिथिल करते हुए सरकारी संवा में विन्सी पद पर, ऐसे पद को छोड़कर जो उत्तर लोक सेवा प्रदेश आयोग के क्षेत्रार्न्तगत हो, उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा यदि ऐसा व्यक्ति:-(एक) पद के लिये विहित शैक्षिक अईतायें पूरी करता हो, (दो) सरकारी सेवा के लिये अन्यथा अई हो, और

(तीन) सरकारी सेवक भी मृत्यु के विनाक से पांच वर्ष के भीतर के लिये सेवायोजन आवेदन करता है परन्तु जहाँ राज्य गरकार का यह सरकार समाधान हो जाये कि सेवायोजन के लिये नियत समय सीमा से किसी विशिष्ट मामले से अन्वित किंनाई होती है वहाँ बह अपेक्षाओं को, वह मामले और न्यायसंगत साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

(2) ऐसा सेवायोजन
यथासम्भव उसी विभाग
में दिया जाना चाहिये
जिसमें मृत सरकारी
सेवक अपनी मृत्यु से
पूर्व विवायोजित था।

भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते. हुए सरकारी सेवा में किमी पद पर, ऐसे वय की छोडकर भी उत्तर सेवा लोक प्रदेश आयोग के क्षेत्रान्तिगत हो, उपयुक्त भेवायोजन प्रदान किया जायेगा ऐसा व्यक्ति:-यदि (एक) पद के लिये विहित शैक्षिक अईतायें पूरी करता हो, (दो) सरकारी सेवा के लिये अन्यथा अर्ह हो, और

(तीन) सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक से पांग कि के भीतर रीवायीजन के लिये आवेदन करता है ভাষ্ট্ৰা राज्य परन्तु यह का सरकार समाधान हो जाये कि सेवायोंजन के आवेदन करने के लिये नियत सभय सीमा से किसी विशिष्ट मामले में अनावश्यक कठिनाई होती है वहाँ अपेक्षाओं को, जिन्हें गामले वह और न्यायसंगत साम्यपूर्ण रीति कार्यवाधी करने के लिये आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है:- '

परन्तु यह और कि
उपर्युक्त परन्तुक के
प्रयोजन के लिये
सम्बद्ध व्यक्ति कारणों
को स्पष्ट करेगा और
आवेदन करने के लिये
नियत समय सीमा के

- ्रव्यानम्म (1) क (3)क्षणीत्। की मुन्ता पत्रमान नियुनित, इस भर्त क अधीन होगी कि उप नियम (1) के अधीन नियुन्त प्यक्तित. मृतक सरकारी रेक्क के पुरुषर क अन्ध सदस्यों का अनुरक्षण क्षरेगा जो 📾 स्वयं अनुरक्षण करने में असमर्थ है और उपत मृतक सरकारी सेवक पर उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व आधात थे।
 - (4) जहाँ उपनियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, किसी ऐसे व्यक्ति का अनुरक्षण वारने में उपेक्षा या एनकार वस्सा छ जिसकी प्रति अभूरक्षण के लिये वह उपनियम (3) के अधीन है तो उत्तरदायी तेवायें, उसकी समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सेवक सरकारी (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अनुसरण में समाप्त की जा सकती है।
- अवसान के प्रभात रोवायोजन के लिये जायेदन करने के विलम्ब के कारण के सम्बन्ध में ऐसे विलम्ब के लमर्थन में आवश्यक अभिरोरों ∕सबूत राहित लिखित में सम्बित औदित्य देगा और सरकार विलम्ब के कारण के लिये सभी तथ्यों पर विचार करते हुए सम्बित निर्णय
- (2) ऐसा सेवायोजन, यथासम्भव, उसी विभाग में दिया जाना चाहिये जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी भृत्यु के पूर्व सेवायोजित था।
- (3) उपनियम (1) के अधीन की गयीं प्रत्येक नियुक्ति, इस णतं के अधीन होगी कि उप 'नियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, सरकारी सेवक के अन्य परिवार सदस्यों का अनुरक्षण करेगा जो कि स्वयं का अनुरक्षण करने असमर्थ है और उक्त मृतक सरकारी सेवक पर उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व आश्रित थे।
 - (4) जहाँ उपनियम (1) के अधीन नियुवत व्यक्ति, किसी ऐसे व्यक्ति का अनुरक्षण करने में उपेक्षा या इनकार करता है जिसके प्रति अन्रक्षण के लिये वह उपनियम अधीन

उसकी है तो उसकी सेवायें, समग-समय पर मधा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपीत) नियमावली, 1999 के अनुसरण में समाप्त की जा सकती है।

आज्ञा से, *हस्ताक्षर* (उमेश सिन्हा) सचिव।

महत्वपूर्ण/मृतक आश्रित नियमावली में संशोधन

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद-। संख्या:18./ए-(सातवां संगो०/मृ०आ०)2006,दि० सित्त० 24,०6

ाम में.

समस्त विभागाम्यक्ष एवं कायलियाध्यक्ष, पुलिस विभाग <u>अस्तर प्रवेण।</u>

कृपया उपर्युक्त अंकित शासनादेश संख्या:1944/6-यु0-10-2006-200(2)/01 टीसी, दिनांक 7.9.2006 व इसके साथ उ०प्र० सेवाकाल में मृत त्रकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती(सातवाँ संशोधन) नियमावली-2006 जो भिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या: 6/12/73/का-2/2006,दिनां ह:28.7. २००६ निर्गत किया गया है की प्रतिलिप प्रेषित करते हुए उपरोज्यानुसार लिंगड़ी किये जाने हेन् भागन द्वारा निर्देश दिये गये हैं।

कृपया उपर्युक्तानुसार शासनादेश दिनांक 7.9.06 व 28.7.06 में

प्रक्रमात कामले में अवगत कराना है कि पूर्व में पुलिस मुख्यालय में एक फर्जी लेकायोजन प्रकरण प्राप्त हुए हैं जिनमें कुछ प्रकरणों में मृतक त्या के पिता पुलिस विभाग में सेनारत् ही नहीं थे उनके फर्जी सेवायोजन रण अन्यत्र से पुलिस अधीक्षक की मुगर व हस्ताक्षर के साथ तैयार कराकर वस मुख्यालय में उपलब्ध कराये गये थे, कुछ में मृतकों के दो या इससे अक्षात्रों द्वारा सेवायोजन का लाभ ले लिया गया है इसके अतिरिक्त तिपय प्रकरणों में मृतक आश्रितों को फर्जी शैक्षिक प्रमाण पत्रों के अधार पर अवविधान प्रकरण पुलिस मुख्यालय में उपलब्ध कराये गये हैं। इन दृश्यों को अच्च न्यायालय,इलाहाबाद द्वारा भी संज्ञान में लिया गया है जिनमें उच्च व्यायालय के आदेश से सम्बन्धित जनपद/इकाईयों द्वारा जॉच करायी जा रही पूर्व प्रचितत प्रक्रिया में मृतक आश्रितों का सेवायोजन प्रकरण पुलिस करायालय के कन्द्रोल हम में प्राप्त करा दिया जाता था जिससे फर्जी प्रकरणों के से होने की संभावना रहती है इस पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

उपर्युक्त अनियमितताओं की पुनरावृति को रोकने के उदद्ण्य से अब िगंग लिया गया है कि समस्त सेवायोजन प्रकरण सम्बन्धित कार्यालय के िओ० आफिस एक निष्चित अन्तराल पर स्वयं पुलिस् मुख्यालय उपस्थित होकर एस प्रकरणां का अधिकारियों के शंज्ञान में लाते हुए सम्बन्धित विभाग में प्राप्त करमगर

- कृपया उपर्युक्त अंकित शासनादेश दिनांकित 28.7.2006 व 7.9.2006 मं डीमत प्राविधानां के अन्तर्गत नियमावली के परन्तुक प्रयोजन के लिये सम्बद्ध व्यवित कारणों की स्पष्ट करेगा एवं आवेदन करने के लिये नियन समय सीमा के अवसान के पश्चात् सेवायोजन के लिये आवेदन करने के विलाब के कारणों के सम्बन्ध में, ऐसे विलम्ब के समर्थन में आवश्यक अभिलेखों/सबूत सहित तिस्तित कप में समुचित औचित्य देगा जिसे प्राप्त कर यथोचित प्रस्ताव मृतक सेवायोजन के सम्बन्ध में पुलिस मुख्यालय के परिपन्न संख्या:18-64-2000, दिनांक 4.4.2003 के साथ प्रेषित चेकलिएट/प्रारूप एवं ìį. अपेशित सूचनायें तथा शासनादेश 3190/6-पू0-10-2002-1200(63)/2000,दिनांक 9.12.2002 द्वारा निधरित प्रारूप में 20 बिन्दुओं की सूचना, मृत्युं की परिस्थितियों का पूर्ण विवरण अपनी टिप्पणी सहित दो प्रतियों में अपने कार्यालय के क्षेत्राधिकारी, (सीठओठआफिस) के द्वारा स्वयं पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद में प्राप्त कराने का कष्ट करें।
- 6. कृपया प्रस्ताव एवं इसके संलग्नक समस्त प्रपत्नों के प्रत्येक पृष्ठ पर कार्यालगाधाक्ष (विरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक/सेनानायक) का रवयं का हस्साक्षर व अभ/पदनाम की मुहर अंकित होगी तथा प्रस्ताव के साथ इस आशय का प्रमाण-पत्र भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा कि यह प्रस्ताव आपके ही अनपद के गात पुलिस कार्यों के वास्तिक आणित का रोवागोजन पनरण है। पूर्व में इस स्वार को वास्तिक को किसी अन्य आश्रित को सेवायोजन का लाभ नहीं दिया गुमा है। कुपल्याव के साथ संलग्न शैक्षिक प्रमाण पत्रों को सत्यता की पुष्टि। भिक्षिक संस्थानों से करा ली गयी है।
 - 7. कृपया प्रस्ताव प्राप्त कराने के समय सी0ओ0 आफिस प्रस्ताव के प्रथम पृष्ठ पर अपने नाम व पदनाम की मुहर के साथ इस तथ्य की पुष्टि करेंगे कि यह प्रस्ताव स्वयं उनके द्वारा पुलिस मुख्यालय में उपलब्ध कराया गया है। प्रकरण/प्रस्ताव प्राप्त होने पर इसे नियमानुसार उत्तर प्रदेश शासन को प्रेपित किया जायेगा।

8... कृषया तद्नुसार आवृष्यक कार्यवाही करने का कृष्ट करें। संलग्नक: यथोपरि:

(जवाहर साल त्रिपाठी) पुलिस उपमहानिरीक्षक,रथापना, उत्तर प्रदेश।

संख्या तथा दिनांक वही।

प्रतिलिपि: संयुक्त सचिव,उत्तर प्रदेश शासन गृष्ट(पुलिस)अनुभाग-10, लखनऊ को शासनादेश संख्या:1944/6-पु0-10-2006-1200 (2)/01 टीसी, िनांक 7.9.06 के संदर्भ में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

संख्या तथा दिनांक वही।

प्रतिलिपि:निम्नालिखित को सादर सूचनार्थ प्रेपित:-

- ।- अपर पुलिस महानिदेशक,कार्मिक उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 2- पुलिस महानिदेशक,के सहायक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 2- पुलिस महानि रीक्षक,स्थापना, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाहाद-।

संख्या: 18-64-94

दिनांकः जनवरी 4 ,2003

सेवा मूं,

समस्त विभागाध्यक्ष/नायानियाध्यक्ष, पुलिस विभाग उत्तर प्रदेशा।

विषय: — मृतक आश्रितों को समय-सीमा में छुट प्रदान करने हेतु सूचना भेजने विषयक प्रारूप ।

कृपया शासनादेश संख्या:3।90/6-पु0-10-2002-1200 है63 है/2000 विनां कित-9-12-200 हैं हमिल लिपिनसंस्लेग्न है का अवलोकन करें।

2— अन्रोध है वि कृपया मृतव सरवारी सेववों के आश्रितों को सेवायोजन विये जानें के ऐसे प्रकरण जो मृतव सेवव को सेवाकाल में मृत्यु के दिनांक— से 5 वर्ष के हाद प्रान्त होते हैं, को उक्त संदर्भित शांसनादेशों के साथ संलग्न शासन द्वारा निर्धारित प्रारूपों में सूचना गहनता के साथ छानळीन करने के पश्चात पृणांकर अपनी स्पष्ट एवं अधित्यपूर्ण संस्तृति के साथ पृलिस गुख्यालय को अगृसारित करने की व्यवस्था प्रानिधिचत करें, ता कि ऐसे प्रकरणों को पृलिस गुख्यालय हारा आवश्यक परीक्षणोंपरान्त भारतनी य अनुमति हेतु शासन को प्रेषित करने की के सम्बन्ध में विचार किया जा सर्वे ।

संलग्न-यथोपरि।

3 T. 11.1.10

En forva Comprione

१ उषा यादव १ विशोष क्उयांधिकारी १स्थापना१ नि0पृलिस उपमहानिरी धाक्ष्रिथापना१ उत्तर प्रदेश ।

3HT2/165

SP

V-6

संख्या तथा दिनां वही।

प्रतिलिपि:—पुलिस महानिरीक्षक"स्थापना"को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यनाही हेत् प्रेष्टात ।

2- प्रतिलिपि:-विभाग-पाँच एवं दस को सूचनार्था एवं आवश्यक कार्यवाही हेतृ

क्षणा नीट क्य आवश्य

शंक्र लाल जायसवाल, विशोध सचिव, उ०प्र० शासनः।

सवा में,

पुलिस उपमहा निरीधान है स्थापना है उठाउ पुलिस मुख्यालय, इलाह ेहाद। हिनामाग—10, लगनऊ: दिनांक: 09 दिसम्बर, 2002

गृह १पु लिस १३:नुभाग-10,

विषय: — मृतक अगित्रतों को समय-सीमा में छुट प्रदान करने हेतृ सूचना भेजने विषयः प्रारुप।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या:2691/6-पु-10-2000 दिनांक-16जनवरी,2001 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेशा हुआ है कि उक्त पत्र के साथ संनग्न निधारित प्रारूप में कित्विय संशोधन किये जा रहे है । तदनुसार भविष्य में समस्त प्रस्ताव पर संशोधित सुचना ही उपलब्ध गराने काक्ष्ट करें।

संलग्न-यथोक्त।

भवदीय, अपठानीय, १ मंक्र लाल जायसवाल १ विशेष सचिव ।

शासनादेश सं0:3100/6-पु-10-2002-1200×63 १/20

	<u>-ro</u>			
		TT		
3-मृत्यु वे	समय तैनाती त	ा विवरणा	• • •	
4-मृत्यु के	समय कर्मचारी	की अग्यः	•	
			राहित हुरू तक काचारी 'अव	TTU CONTRACTOR
ड्यटी प	र,मृत्य प्रशापा	पत्र सहित ।		पुन्त्पर या इसवा
6—वया मत	य कर्तन्य कालन	के टीयाच अञ्चलक	f== ==f==f===0==× × ==	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
е` 7— г ит па	्राके साम्यक्रमा	ास्कृतस्य माराम् म	विक परिस्थितियों में ह	ਝ ਵੱ
			त किसी रेवायोजन में श	यदि हाँ तो उएका
विवरण			• • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	के आफ़िल्हें ट	· ·		•
म संख्या	नार	शैक्षिक योग्यता	सेवा/व्यवसाय	मासिक अप
<u> </u>	2	3	- 4	5
ŀ•	·			
2•				
(and the second second	e de la companya de La companya de la co
` 			 राविवरण	alist dina anna man man prins ann de
)—यार्यार । 0—वर्मचार	े पंजन्य वयवा ो के आफ्रितों	ताय/उपलब्ध मृत्य व को प्राप्त होने वाल	ा विवरण । । । विवरण १ राज्या । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।	 धारण∕अमाधारण∛रा⊤िश
			िया	
12-सेवा यो	जन हेत् 3 गवेदक्	आफ्रित का नागः.		
	•	,		
			ोजित नहीं विया गया	· ·
			ितर सेवायोजन हेतु भा	वेदन न प्रास्तृत करने का
		ਵਿਜ		
			रते हुए यह स्पष्ट विय	
		। शासक्षय अ नु वस्य निर्वाह की क्या <mark>व्य</mark> व	ा की आविषयकता है।	• • • • • • • • • • • • • •
। 7—310 (10 । 8—समय स	गारपार पा निकासी स्टाहेल	निधारामध्यक्षकी	प्पष्ट सेस्तृति पूर्ण भौ	਼ੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਬੁਜ਼ਬੂ ਸ਼ਿਵਿਕ
negasan⊐ ()	in in on all	i — initiation properties of the f	• 1	·
			४प लिम अधीक्षक∕से की हस्ताक्षर एवं	नानायक्र गट्य गटिन
		_ ^ _	पा दल्लाकर स्व	are area 1
Y. भ्रतक	आक्त्र दा	ा सवास्थान	क्ष अप बन्धर प	शास्त होने के उपर
अपम	नार - भार	ाना पञ्च देने	AT THE	

२० (तक फर्ननारी की मत्यु की


(58)

5/2000) North

अनुज कुमार विश्वोई, सचिव,

<u>उत्तर प्रदेश शासन।</u> सेवा में

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, <u>लखनऊ।</u>



25/4

गृह(पुतिस) अनुभाग-10

ि दिनांक 01 मई, 2000

विषय: उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती विषयातती, 1974 के अधीन मृतक आश्रितों की पुलिस बल में निधुक्ति हेतु विधारित न्यूनतम लम्बाई में छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित आपके पत्रांक:डीजी-चार-124(52)-91, दिनांक 20 दिसम्बर, 1993 एवं 13 अगस्त, 98 तथा उ०प्र० पुतिस मुख्यात्मय के पत्र संख्या:पॉच-740(सेवा)-98, दिनांक 14-12-98 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय तिया गया है कि प्रदेश की पुतिस बत की सेवायें में आने वाते जिन पदों पर सेवायोजन की कार्याही पुतिस विभाग द्वारा की जाती है, उन पदों के तिए निर्धारित अर्हताओं में से अन्य योग्यताएं व अर्हताएं पूर्ण करने वाते मृतक आश्रित अभ्यिथों को शारीरिक अर्हताओं के अन्तर्गत विधारित न्यूनतम लम्बाई में दो सेन्टीभीटर तक की छूट प्रदान की जाती है।

(अनुज कुगार निण्नोई) सचिव।

संख्या-1293/छ:-पु0-10-2000-1200(8)/98 तदिनांक प्रतितिपि पुतिस उप महानि रीक्षक (स्थापना), उत्तर प्रदेश मुख्यातम, इलाहाबाद को स्चनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

300

अज्ञा में,

अज्ञा में

अज्ञा में,

अज्ञा

A FIRM

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद/इकाई	
के एव संख्या दिनांक व	ने
माध्यम से प्रेषित स्व	0
जिनकी मृत्	यु
दिनांक सेवाकाल में हुई है के आश्रित श्र	गि
6	ক
पद पर सेवायोजन सम्बन्धी प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय में उपलब्ध	ध
कराया गया है। यह प्रस्ताव समस्त संलग्नको सहि	त
जनपद/इकाई ' से ही प्रेषित किया गया है	1
प्रस्ताव के साथ संलग्न समस्त प्रपत्रो का परीक्षण मेरे द्वारा क	र
लिया गया है, प्रस्ताव पूर्णतया सही है तथा इसी जनपद/इका	ई
के स्व0 कर्मी के वास्तविक आश्रित के पक्ष में प्रस्ताव है । य	ह
प्रकरण फर्जी नही है एंव मृतक आश्रित के द्वारा उपलब्ध करा	य
गये शिक्षा एव जाति सम्बन्धी प्रमाण-पत्रो की सत्यता की पुष्टि	ट
क्रमशः जिला विद्यालय निरीक्षक /शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय ए	
सम्बन्धित जिला अधिकारी के माध्यम से करा ली गयी है	
इसके पूर्व इस स्व0 कर्मी के किसी अन्य आश्रित को सेवायोज	न
का लाभ नही दिया गया है। इसकी पुष्टि अधोहस्ताक्षरी द्वा	रा
की जाती है ।	

हस्ताक्षर :-नाम :-पदनाम:-कामिलय का नाम:-(राजपत्रित अधिकारी का नाम/ पदनाम की मुहर)

यह प्रमाण-पत्र आज दिनांक ----- को मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया है ।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया	जाता है कि	जनपद/इ	इकाई		
के पत्र संख्या		दिन कं	op New gard, bright a se of a polymer		- के
माध्यम 	से	प्रेपि	शेत		स्व0
Note that they have been to be upon and the second way when were the		R	गनकी		मृत्यु
दिनांक	सेवाकाल	में हुई	है के	आश्रित	श्री
		को			के
पद पर सेवायोजन स	म्बन्धी प्रस्त	ताव पुलिस	मुख्यालय	ा में उप	लब्ध
कराया गया है।	यह प्रस्त	गव समस	त्त संलग	नको र	नहित
जनपद/इकाई '	, 	से ही	प्रेषित वि	म्यो गया	है।
प्रस्ताव के साथ संलग्	न समस्त प्र	प्रयोका	परीक्षण मे	नेरे द्वारा	कर
लिया गया है, प्रस्ताव	्पूर्णतया ्	ਸ਼ਵੀ ਵੈ ਜਾ	था इसी	जनपद/इ	काई
के स्व0 कर्मी के वास	तविक आश्र	त्रत के पक्ष	ा में प्रस्त	ाव है।	यह
प्रकरण फर्जी नही है	एव मृतक	आश्रित व	हिंदारा उ	पलब्ध व	•राये -
गये शिक्षा एवं जाति	सम्बन्धी प्र	माण-पत्री	की सत्य	ता की प्	रुष्ट
कमशः जिला विद्यालय	निरीक्षक	/शिक्षा	बोर्ड/विश्व	विद्यालय	एंव
सम्बन्धित जिला अधि	कारी के	माध्यम से	करा त	नी गयी	है।
इसके पूर्व इस स्व0 व	भर्मी के कि	सी अन्य	आश्रित व्	ने सेवायो	जन
का लाभ नहीं दिया	गया है।	इसकी पुंषि	ट अधोहर	स्ताक्षरी	द्वारा
की जाती है।	•				

हस्ताक्षर :-नाम :-पदनाम:-कामीलय का नाम:-(राजपत्रित अधिकारी का नाम/ पदनाम की मुहर)

यह प्रमाण-पत्र आज दिनांक को मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया है ।

प्रमाण पत्र

प्र	माणित किया जाता है कि	जनपद/इकाई	the same time that is the control of
के पत्र	संख्या	दिनांक	
माध्यम	से	प्रेषित	Ι. Α.()
		जिनकी	मत्य
दिनांक	सेवाकाल	में हुई है के	आश्रित श्री
,		को	के
क्याप	सेवायोजन सम्बन्धी प्रस्त	गव पुलिस मुख्यात	ाय में उपलब्ध
कराया	गया है। यह प्रस्त	ाव समस्त संत	गनको सहित
प्रसात व	हकाई '	- से ही प्रेषित	किया गया है।
लिया गर	में साथ संलग्न समस्त प्र	पत्रों का परीक्षण	मेरे द्वारा कर
के स्वत	ग है, प्रस्ताव पूर्णतया स	ही है तथा इसी	जनपद/इकाई
प्रकरण प	कर्मी के वास्तविक आश्रि	त कि पक्ष में प्रस	ताव है। यह
गये छिप्त	फर्जी नहीं है एंव मृतक एक्टरानि साम्यारी स	आश्रित के द्वारा	उपलब्ध कराये
क्रमुकाः हि	ा एवं जाति सम्बन्धी प्र	माण-पत्रा का सत	यता की पुष्टि
भगरा. । सम्बन्धित	जेला विद्यालय निरीक्षक	/शिक्षा बोर्ड/विष	वविद्यालय एंव
राज्या वरा इसके गर्न	जिला अधिकारी के	नाध्यम से करा	ली गयी है।
राज तूज का लाध्य	इस स्व0 कर्मी के कि	सी अन्य आश्रित	को सेवायोजन
भी जाती	नहीं दिया गया है। इ	सका पुष्टि अधीह	इस्ताक्षरी द्वारा
	• •		

हस्ताक्षर:नाम:पदनाम:काम्रीलय का नाम:(राजपत्रित अधिकारी का नाम/
पदनाम की मुहर)

यह प्रमाण-पत्र आज दिनांक ---- को मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया है।